संख्या-234/2026/2707/सैंतीस-2-2026-2071456

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक-13 नवम्बर, 2026

विषयः-राज्य पशुधन मिशन (एस.एल.एम.) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य पशुधन मिशन (एस.एल.एम.) के सम्बन्ध में निम्नानुसार क्रियान्वित किया जाना है:-

1- विजन एवं मिशन

1.1 विजन

उत्तर प्रदेश को पशुधन क्षेत्र में **राष्ट्रीय स्तर का अग्रणी और नवाचार केंद्र** बनाना।

1.2 मिशन/प्रमुख उद्देश्यः

1. पशुधन आधारित उद्यमिता का विकास- ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार सृजन (बकरी, भेड़, डेयरी, सूकर, कुक्कुट आदि), लाइवस्टॉक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। चारा एवं पशु आहार उत्पादन क्षेत्र में उद्यमिता विकास।
2. पशु उत्पादकता एवं उत्पादन में बृद्धि एवं मूल्य सम्वर्धन।
3. पशु उत्पादों की वैश्विक बाजार तक पहुँच बढ़ाना, उत्पादक संगठनों को मजबूत करना, सप्लाई चेन को व्यवस्थित करना।
4. जोखिम प्रबंधन योजनाओं का आच्छादन बढ़ाना।
5. प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकास।
6. अनुसंधान एवं नई तकनीक को प्रोत्साहन - डिजिटल ट्रेसबिलिटी एवं AI तकनीक का उपयोग
7. विभिन्न जनपदों में जलवायु अनुकूल पशुधन उत्पाद का प्रोत्साहन।

2- मिशन की संरचनाः यह मिशन **5 उप-मिशनों** में विभाजित है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.1 पशुधन उद्यमिता एवं स्टार्टअप विकास उप-मिशन: इसके अंतर्गत ग्रामीण युवाओं/ नव उद्यमियों के लिए रोजगार सृजन (बकरी, भेड़, डेयरी, कुक्कुट, सूकर आदि), लाइवस्टॉक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, चारा एवं पशु आहार उत्पादन क्षेत्र में उद्यमिता विकास किया जाना लक्षित है।

- उन्नतशील नस्लों के छोटे तथा मध्यम आकार के भेड़/बकरी/सूकर/डेयरी फार्म की स्थापना से पशु उत्पादकता एवं उत्पादन में बृद्धि संभव होगी।
- नव उद्यमियों को संगठित कर **कृषक/पशुधन उत्पादक संगठनों**(एफ/एल.पी.ओ.) का विकास करते हुए, संकलित उत्पाद का **प्रसंस्करण/मूल्य-वर्धन** करने के उपरांत, **सप्लाई चेन** को व्यवस्थित कर स्थानीय/वैश्विक बाजार तक पहुच बढ़न के भी प्रयास किए जायेंगे।
- यह उप-मिशन लाभार्थियों के लिए एक **विश्वसनीय आय स्रोत** तैयार करेगा और राज्य में **पशु प्रोटीन उत्पादन** बढ़ाने में योगदान देगा।
- **सम्मिलित गतिविधियाँ :**
  i. लघु डेरी इंटरप्रिन्योरशिप यूनिट- भैंस पालन इकाइयाँ – 5 से 10 पशु।
  ii. लघु पशु(भेड़/बकरी/सूकर) इंटरप्रिन्योरशिप यूनिट- भेड़, बकरी पालन इकाइयाँ - 50+3; 100+5; 200+10; सूकर पालन इकाइयाँ 50+5; 100+10.
  iii. ग्रामीण एवं व्यवसायिक कुक्कुट उद्यमिता- ब्रॉयलर यूनिट 5000 पक्षी।
  iv. ग्रामीण एवं व्यवसायिक कुक्कुट उद्यमिता – महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु 1,000 लो-इनपुट पक्षी के लेयर यूनिट- बैकयार्ड/लेयर यूनिट(50 पक्षी प्रति सदस्य)
  v. 1000 प्रति सप्ताह क्षमता वाले इनक्यूबेटर, हैचरी की स्थापना: इससे गुणवत्ता युक्त चूजों की उपलब्धता बढ़ेगी।
  vi. ग्रामीण एवं व्यवसायिक देशी कुक्कुट उद्यमिता – 1,000 देशी पक्षी इकाई।
  vii. विदेशी एवं विशिष्ट कुक्कुट उद्यमिता (एकल इकाइयाँ)- जापानी बटेर, गिनी फाउल, बतख एवं टर्की इकाइयों की स्थापना।
  viii. आधुनिक बकरी मंडियां।
  ix. आधुनिक सूकर मंडियां।
  x. क्लस्टर बेस्ड पॉल्ट्री प्रोडक्शन इकोसिस्टम डेवलपमेंट कार्यक्रम (पीपीसी माडल)
  xi. कौशल विकास एवं कृषि-उद्यमिता प्रोत्साहन हेतु उत्कृष्टता प्रशिक्षण केंद्रों का विकास।

2.2 पशुधन एवं पोल्ट्री नस्ल विकास उप-मिशन: स्वदेशी गोवंशीय नस्लों (गंगातीरी, गिर, साहिवाल, रेड सिन्धी) के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ ही पोल्ट्री, भेड़, बकरी और सूअर पालन में नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाना है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों, विभिन्न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्पादक संघों, कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार को नस्ल सुधार अवसंरचना के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। प्रथमतः **स्वदेशी नस्ल जीनोमिक फार्म** (PPP **मॉडल) सम्मिलित किया गया है।**

i. **स्वदेशी नस्ल जीनोमिक फार्म:**

इसके अंतर्गत स्वदेशी गोवंशीय नस्लों (गंगातीरी, गिर, साहिवाल, रेड सिन्धी) का संरक्षण, उनका आई.वी.एफ/ भ्रूण प्रत्यारोपण के माध्यम से आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार, न्यूक्लियस हर्ड/ ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की स्थापना कराई जाएगी। इससे राज्य प्रजनन कार्यक्रमों/ पशुपालकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पशु उपलब्ध हो सकेंगे।

2.3 पशुपालन क्षेत्र में नवाचार, डिजिटल लाइव स्टाक, उद्यम आधुनिकीकरण, ए.आई. अनुप्रयोग, जलवायु सहनशील तकनीक को बढ़ावा देने हेतु उप-मिशन: पशुधन विकास के क्षेत्र मे सतत विकास हेतु निम्न नवाचार सम्मिलित किए गए है:-

i. **हरित डेयरी: गोबर से बायोगैस बनाना और कार्बन क्रेडिट से जोड़ना-** पशुधन अपशिष्ट को बायोगैस या बायो-सीएनजी में परिवर्तित करने से कचरे का स्वच्छ और सुरक्षित निपटान सुनिश्चित होगा साथ ही बायोगैस, जैविक खाद और कार्बन क्रेडिट के माध्यम से आय अर्जित करने के अवसर भी प्राप्त होंगे।

ii. **पशु ट्रेसबिलिटी सिस्टम** अंतर्गत **मजल (थूथन) आधारित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली**, **आर.एफ.आई.डी के उपयोग**(RFID) के माध्यम से पशुओं की पहचान/ रिमोट निगरानी-पशु प्रबंधन; भैंस मांस ट्रेसबिलिटी एवं एक्स्पोर्ट इन्टेग्रिटी प्रणाली ("फार्म-से-पोर्ट" मॉडल) को पोत्साहित किया जाएगा।

iii. **राज्य डिजिटल पशुधन मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म ("ई-पशुशाला") की स्थापना**: पशुधन व्यापार को नियोजित करना, सत्यापित ब्रीडर (प्रजनक) सूची उपलब्ध कराना, पारदर्शी डिजिटल पशुधन नीलामी को सक्षम बनाना, पशु चिकित्सा टेली-परामर्श सेवाओं का एकीकरण करना, बिचौलियों के शोषण को कम करना आदि प्रमुख उद्देश्य हैं।

iv. **पशुधन डेटा स्टैक एवं एआई-आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली- यह सबमिशन** डाटा आधारित पशुधन विकास योजनाओं के विकास हेतु सक्षम बनाने में सहयोग करेगा।

v. **पीपीपी आधारित मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां-** यह प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सुदूर अंचलों तक गुणवत्तायुक्त पशु चिकित्सा सेवाओं की सुनिश्चित करेंगी।

2.4 चारा एवं आहार विकास उप-मिशन: इसके अंतर्गत वैज्ञानिक फॉर्मूलेशन के आधार पर मशीन आधारित फीड मिक्सिंग द्वारा संतुलित पशु आहार (टी.एम.आर.) बनाने, साइलेज निर्माण, हे ब्लॉक इकाइयों/ उद्यमों की स्थापना तथा हाइड्रोपोनिक विधि से हरा चारा उत्पादन इकाईयों की स्थापना द्वारा चारा और आहार की उपलब्धता बढ़ाने को प्रोत्साहित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

i. **सामुदायिक स्तर टी एम आर (संतुलित पशु आहार)** बनाने के केंद्रों मे वैज्ञानिक फॉर्मूलेशन के आधार पर मशीन आधारित फीड मिक्सिंग द्वारा संतुलित पशु आहार बनाने से चारे की बर्बादी कम होगी तथा लागत में भी कमी आएगी।

ii. **साइलेज बनाने की मशीन से उद्यमिता विकास:** छोटे से मध्यम स्तर के साइलेज निर्माण, हे ब्लॉक इकाइयों/ उद्यमों की स्थापना से रोजगार सृजन के साथ ही हरे चारे की कम उपलब्धता वाले मौसम मे चारे की कमी को पूरा करने मे सहायक होगा।

iii. **हाइड्रोपोनिक हरा चारा उत्पादन इकाई** योजना (सभी प्रकार के चारे को समाहित करते हुए)

2.5 अनुसंधान, वैश्वीकरण एवं ज्ञान प्रणाली विकास उप-मिशन: इसके अंतर्गत पशुधन अनुसंधान क्षेत्र में फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। साथ ही पशुपालकों को राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी परिदृश्य एवं बाजार की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदर्शनियों/सम्मेलनों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। सबमिशन मे सम्मिलित गतिविधियां निम्नवत हैं:-

i. पशुधन कुंभ–अंतर्राष्ट्रीय पशुधन एक्सपो एवं आनुवंशिक(जेनेटिक) व्यापार मंच
ii. एप्लाइड लाइव स्टाक रिसर्च एवं इनोवाशन ग्रांट
iii. राज्य पशुधन अनुसंधान एवं नवाचार संस्थान स्थापना कार्यक्रम
iv. अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता एवं वैश्विक पशुधन व्यापार प्रोत्साहन

3- सब्सिडी पैटर्न एवं मार्गदर्शक सिद्धांत: सब्सिडी का ढांचा और मूल मार्गदर्शक सिद्धांत प्रमुखतः राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एन.एल.एम.) के समान होंगे। प्रत्येक उप-मिशन के लिए गतिविधियाँ, सहायता पैटर्न और कार्यान्वयन एजेंसियाँ निर्धारित की जाएंगी जिससे मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा ।

बजट आवंटन: राज्य पशुधन मिशन (एस.एल.एम) के अंतर्गत उपलब्ध कुल बजट के अनुसार उप-क्षेत्रवार कोटा आवंटन राज्य सशक्त समिति/स्टेट एम्पावर्ड कमेटी(एस.ई.सी.) द्वारा किया जा सकता है।

4- योजना का अधिकार क्षेत्र:

यह योजना उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026-27 से लागू की जाएगी।

5- संस्थागत संरचना

मिशन का प्रबंधन बहु-स्तरीय होगा, जिससे रणनीतिक मार्गदर्शन एवं संचालन की निगरानी सुनिश्चित की जा सके। निदेशालय स्तर पर स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (एस.पी.एम.यू.) का गठन किया जायेगा जिसमे विभागीय अधिकारियों के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के डोमेन विशेषज्ञों (कंसल्टेंट) को रखा जायेगा। इन विशेषज्ञों को डिलायट, ई एण्ड वाई, पी.डब्ल्यू.सी., के.पी.एम.जी., मैकिनसी, एन.ए.बी.सी.ओ.एन.एस. आदि संस्थाओं से प्राप्त कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सकेंगे। डोमेन विशेषज्ञ, विशेषज्ञ सलाहकार समूह /प्रोजेक्ट अप्रेजल एण्ड फाइनेंस डिटर्मिनेशन कमेटी (पी.ए.**एफ.डी.सी.**) के भी सदस्य होंगे।

स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (एस.पी.एम.यू.) में निम्नलिखित चार विशेषज्ञ सम्मिलित किए जाएंगे:

1. पशुधन तकनीकी विशेषज्ञ
2. वित्त एवं निवेश विशेषज्ञ
3. आईटी, डिजिटल एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणाली विशेषज्ञ
4. पीपीपी, परियोजना प्रबंधन एवं उद्यमिता विकास विशेषज्ञ

उपरोक्त एस.पी.एम.यू. संरचना के संचालन हेतु संकेतात्मक रूप से प्रति विशेषज्ञ रू0 2.00 लाख प्रतिमाह के आधार पर चार विशेषज्ञों हेतु कुल रू0 8.00 लाख प्रतिमाह का व्यय अनुमानित है। इस प्रकार एस.पी.एम.यू. के संचालन के लिए वार्षिक संकेतात्मक व्यय रू0 1 करोड़) प्रति वर्ष अनुमानित होगा।

यह बजट केवल संकेतात्मक है तथा अंतिम व्यय विशेषज्ञों की संख्या, अनुभव, कार्यक्षेत्र एवं चयनित परामर्शदाता संस्था के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

एस.पी.एम.यू. के कार्य:

i. मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन, योजना निर्माण (नियोजन), समन्वय एवं प्रगति की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण करना।
ii. मिशन अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा एवं ट्रैकिंग करना।
iii. परियोजना परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन एवं तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर डी.एल.आई.सी. द्वारा भेजी गई परियोजनाओं की जांच करना और पी.ए.सी. के समक्ष प्रस्तुत करना। परियोजनाओं के लिए डीपीआर मूल्यांकन, निवेश योजना, वित्तीय मॉडलिंग एवं व्यवहार्यता विश्लेषण करना।
iv. मिशन के केपीआई (के.पी.आई.)/परिणाम संकेतक निर्धारित करते हुए उनके आधार पर परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन एवं निगरानी करना।
v. जिला स्तरीय इकाइयों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों को तकनीकी एवं प्रबंधन सहायता उपलब्ध कराना।
vi. डिजिटल डैशबोर्ड, MIS एवं रियल-टाइम मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित एवं संचालित करना।
vii. मिशन के लिए नीतिगत सुझाव, सुधारात्मक उपाय एवं कार्यान्वयन रणनीति तैयार करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (एस.पी.एम.यू.) स्क्रीनिंग समिति एवं विशेषज्ञ सलाहकार समूह /प्रोजेक्ट अप्रेजल एण्ड फाइनेंस डिटर्मिनेशन कमेटी (पी.ए.**एफ.डी.सी.**) की सहायता से मिशन गतिविधियों को संचा|लित करेगा। मिशन अंतर्गत विभिन्न स्तर पर निम्नानुसार समितियों का भी गठन किया जाएगा:-

5.1 स्टेट इम्पावर्ड कमेटी (एस.इ.सी.)

अध्यक्ष: मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

सदस्य:

पदनाम	**भूमिका**
i. अपर मुख्य सचिव (पशुपालन)	सदस्य
ii. प्रमुख सचिव (वित्त)	सदस्य
iii. महानिदेशक (डेयरी एवं मत्स्य)	सदस्य
iv. पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों के कुलपति	सदस्य
v. नाबार्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
vi. सिडबी के प्रतिनिधि	सदस्य
vii. निजी क्षेत्र के दो विशेषज्ञ	सदस्य
viii. मिशन निदेशक (निदेशक, पशुपालन विभाग)	सदस्य सचिव

कार्य:

i. वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृति देना
ii. घटकों एवं लागत मानकों में संशोधन करना
iii. उच्च-मूल्य पीपीपी परियोजनाओं को स्वीकृति देना
iv. त्रैमासिक प्रगति की समीक्षा करना
v. क्लस्टर अधिसूचनाओं को स्वीकृति देना

5.2 प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी (पी.ए.सी.)

अध्यक्ष: अपर मुख्य सचिव (पशुपालन)

सदस्य:

पदनाम	**भूमिका**
i. विशेष सचिव, पशुपालन	सदस्य
ii. निदेशक, प्रशासन एवं विकास विभाग, पशुपालन उ.प्र./मिशन निदेशक	सदस्य सचिव
iii. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन उ.प्र.	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पदनाम	भूमिका
iv. अपर निदेशक, पोल्ट्री	सदस्य
v. अपर निदेशक, लघु पशु	सदस्य
vi. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	सदस्य

प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी (पी.ए.सी.) के कार्य:

i. एस.एल.एम. की डी.पी.आर. का गठन
ii. उद्यमिता डी.पी.आर. का मूल्यांकन
iii. सब्सिडी की स्वीकृति
iv. अनुपालन की निगरानी
v. सामान्य प्रकार की पशुधन विकास गतिविधियों को जोड़ना अथवा हटाना
vi. नवाचार परियोजनाओं की सिफारिश

5.3. स्क्रीनिंग समिति

अध्यक्ष: निदेशक, प्रशासन एवं विकास विभाग, पशुपालन उ.प्र.

सदस्य:

पदनाम	भूमिका
i. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन उ.प्र.	सदस्य
ii. अपर निदेशक, गोधन विकास	सदस्य सचिव
iii. अपर निदेशक, पोल्ट्री	सदस्य
iv. अपर निदेशक, लघु पशु	सदस्य
v. राज्य नोडल अधिकारी, एस.एल.डी.एम.	सदस्य

कार्य:

i. डी.एल.आई.सी. द्वारा भेजी गई परियोजनाओं की जांच करना और पी.ए.सी. के समक्ष प्रस्तुत करना। परियोजनाओं के लिए डीपीआर मूल्यांकन, निवेश योजना, वित्तीय मॉडलिंग एवं व्यवहार्यता विश्लेषण करना।
ii. सभी परियोजनाओं की जांच करना; अपूर्ण परियोजनाओं को स्पष्ट कारण सहित अस्वीकृत करना।
iii. राज्य मिशन कार्यालय (एस.एल.एम.) द्वारा परियोजनाओं का संग्रह, प्राथमिक जांच, समयबद्ध प्रस्तुति और समग्र निगरानी करना; साथ ही सब्सिडी किश्तों की रिलीज़् की प्रगति की समीक्षा करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

iv. निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित जिला कोषागार में अनुदान राशि हस्तांतरित करना तथा परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करना।

v. पशुपालन/पशु चिकित्सा से इतर विषयों अथवा किसी भी विषय को यथा – आवश्यकता, **विशेषज्ञ सलाहकार समूह/प्रोजेक्ट अप्रेजल एण्ड फाइनेंस डिटर्मिनेशन कमेटी (पी.ए.**एफ.डी.सी.**) को** इकाई लागत एवं अनुदान सीमा के मूल्यांकन हेतु प्रेषित करना।

5.4 विशेषज्ञ सलाहकार समूह /प्रोजेक्ट अप्रेजल एण्ड फाइनेंस डिटर्मिनेशन कमेटी (पी.ए.**एफ.डी.सी.**)

यह विषय विशेषज्ञों (जीनोमिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु मॉडलिंग, व्यापार, स्टार्टअप इकोसिस्टम आदि क्षेत्रों में) की एक समिति होगी जो नवाचार अनुसंधान एवं बड़े पैमाने की परियोजनाओं की समीक्षा, पूंजीगत लागत का मूल्यांकन आदि करेगा। यह समूह आर. एण्ड डी. एवं नई तकनीकों को अपनाने की तकनीकी गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।
यह समिति, स्क्रीनिंग समिति को परियोजना परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन एवं तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन में सहायता प्रदान करेगी। इसकी संरचना निमन्वयत होगी:-

अध्यक्ष: निदेशक, प्रशासन एवं विकास विभाग, पशुपालन उ.प्र./मिशन निदेशक

सदस्य:

पदनाम	**भूमिका**
i. डिलायट, ई एण्ड वाई, पी.डब्ल्यू.सी., के.पी.एम.जी., मैकिन्से, एन.ए.बी.सी.ओ.एन.एस. जैसी संस्थाओं से डोमेन विशेषज्ञ/ सलाहकार	सदस्य
ii. वित्त एवं निवेश विशेषज्ञ	सदस्य
iii. परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञ	सदस्य
iv. पशुधन क्षेत्र विशेषज्ञ	सदस्य
v. डिजिटल प्रणाली एवं डेटा प्रबंधन विशेषज्ञ	सदस्य
vi. एस.एन.ओ.	सदस्य

प्रमुख कार्य :-

I. मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन, योजना निर्माण (नियोजन), समन्वय एवं प्रगति अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी एवं प्रबंधन सहायता प्रदान करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ii. स्क्रीनिंग समिति को परियोजना परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन तथा तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन में सहायता प्रदान करना।

iii. स्क्रीनिंग कमेटी के निर्देश पर परियोजनाओं की डी.पी.आर. मूल्यांकन, निवेश योजना, वित्तीय मॉडलिंग एवं व्यवहार्यता का विश्लेषण करना।

5.5 जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति (डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेनटिंग कमेटी- डी.एल.आई.सी.)

अध्यक्षः मुख्य विकास अधिकारी

सदस्यः

पदनाम	**भूमिका**
i. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	सदस्य सचिव
ii. जिला प्रबंधक, एन.आर.एल.एम.	सदस्य
iii. उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु विकास	सदस्य
iv. पशु चिकित्सा अधिकारी	सदस्य

डी.एल.आई.सी. के कार्यः

i. **डी.एल.आई.सी.** क्षेत्रीय स्तर की कार्यान्वयन एजेंसी है। यह योजना के बारे में जिले के सभी ब्लॉकों में प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/मेला/प्रदर्शनी आदि के माध्यम से पर्याप्त जागरूकता सुनिश्चित करेगी।

ii. आवेदन पत्रों का संग्रह एवं जांच करना तथा योजना दिशानिर्देश में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार उन्हें निदेशालय (स्क्रीनिंग समिति) को भेजना। विभाग इन आवेदनों को पी.ए.सी. के समक्ष अंतिम स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगा।

iii. आवेदक को परियोजना संबंधी अवसंरचना विकास प्रारंभ करने हेतु लेटर आफ कमफ़र्ट जारी करना।

iv. सब्सिडी की पहली किश्त जारी करने से पहले आवेदक को प्रशिक्षण हेतु भेजने की व्यवस्था करना।

v. परियोजना स्थापना से संबंधित बिल/वाउचर/दस्तावेजों का संग्रह करना और निर्धारित प्रारूप में स्क्रीनिंग समिति को सब्सिडी किश्त जारी करने हेतु अनुशंसा करना।

vi. परियोजना के विकास की क्षेत्रीय स्तर पर समग्र निगरानी करना।

5.6 जिला स्तरीय नोडल अधिकारी (डी.एन.ओ.):

उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (पशु विकास) को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। यह मिशन के प्रचार-प्रसार, आवेदन संग्रह एवं उनका पूर्ण होना सुनिश्चित करना, रिकॉर्ड संधारण तथा डी.एल.आई.सी. के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

होंगे। साथ ही, यह डी.एल.आई.सी. की ओर से परियोजना के विकास की निगरानी करेंगे तथा परियोजना की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और उपलब्ध माइलस्टोन के अनुसार सब्सिडी किश्त जारी करने का प्रस्ताव देंगे।

उपरोक्त संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से राज्य पशुधन मिशन के प्रभावी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी क्रियान्वयन हेतु शासन विभिन्न स्तरों पर नीति निर्माण, वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, परियोजना अनुमोदन, डिजिटल अनुश्रवण एवं समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। शासन की प्रमुख भूमिकाएँ निम्नवत् हैं:-

i. नीति निर्माण एवं रणनीतिक मार्गदर्शन– मिशन की नीतियों, वार्षिक कार्ययोजनाओं एवं दीर्घकालिक रणनीतियों का निर्धारण एवं अनुमोदन करना।
ii. वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन– बजट आवंटन, पूंजीगत अनुदान एवं अन्य वित्तीय सहायता का प्रावधान तथा निधियों का समयबद्ध एवं पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना।
iii. परियोजना अनुमोदन एवं मूल्यांकन– विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (DPR) का तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण, अनुमोदन तथा परियोजनाओं की व्यवहार्यता सुनिश्चित करना।
iv. तकनीकी सहायता एवं क्षमता निर्माण– विशेषज्ञ संस्थाओं एवं तकनीकी विशेषज्ञों के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करना तथा प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन को प्रोत्साहित करना।
v. डिजिटल सुशासन एवं अनुश्रवण– डिजिटल डैशबोर्ड, प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित निगरानी एवं ट्रेसबिलिटी प्रणाली का विकास एवं संचालन करना।
vi. निगरानी, मूल्यांकन एवं उत्तरदायित्व– मिशन की प्रगति, परिणाम संकेतकों (KPIs) एवं वित्तीय उपयोगिता की नियमित समीक्षा, मूल्यांकन एवं लेखा-परीक्षण सुनिश्चित करना।
vii. सार्वजनिक–निजी सहभागिता एवं निवेश संवर्धन– निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, उत्पादक संगठनों एवं अन्य हितधारकों के साथ सहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए निवेश एवं नवाचार को बढ़ावा देना।
viii. अन्तर्विभागीय समन्वय एवं अभिसरण– विभिन्न विभागों, संस्थानों एवं योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित कर संसाधनों के प्रभावी अभिसरण एवं मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।

6- वित्तपोषण एवं निधि प्रवाह तंत्र (फंडिंग एण्ड फंड फ़्लो मेकनिज़्म):

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6.1 बजट एलोकेशन:

राज्य पशुधन मिशन के अंतर्गत आवंटित बजट को पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के निदेशालय स्तर पर राज्य पशुधन मिशन/एस.पी.एम.यू. कार्यालय के निवर्तन पर रखा जाएगा। निर्धारित माइलस्टोन की प्राप्ति के अनुसार, स्क्रीनिंग समिति द्वारा अग्रेषित किए जाने तथा पी.ए.सी. द्वारा सब्सिडी राशि की विधिवत स्वीकृति के बाद, केवल स्वीकृत परियोजनाओं के लिए ही सब्सिडी सीधे राज्य पशुधन मिशन/एस.पी.एम.यू. कार्यालय से लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

डी.एल.आई.सी. निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार सब्सिडी जारी करने की संस्तुति करेगा और इसे स्क्रीनिंग समिति को भेजेगा, जो समीक्षा के बाद अंतिम स्वीकृति हेतु पी.ए.सी. को अग्रेषित करेगी। डी.एल.आई.सी. एवं स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर पारीक्षणोपरांत, पी.ए.सी. द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के लिए सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

6.2 एस.एल.एम. के अंतर्गत सामान्यतः परियोजनाएँ व्यक्तियों/विभिन्न उत्पादक समूहों धारा-8 कंपनियों, डिपार्टमेंट फार प्रमोशन आफ इंडस्ट्री एण्ड इन्टर्नल ट्रेड (डीपीआईआईटी) में पंजीकृत स्टार्टअप्स तथा निजी कंपनियों को उद्यमी के रूप में विकसित करने एवं एक सतत विकास मॉडल स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं।

एस.एल.एम. के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में सामान्यतः सहायता परियोजना की स्थापना के विभिन्न चरणों में अधिकतम 50% पूंजीगत सब्सिडी तक सीमित है। शेष 50% परियोजना लागत (पूंजीगत व्यय) तथा परियोजना स्थापना के बाद आने वाले सभी आवर्ती व्यय (आवर्ती लागत) की व्यवस्था आवेदक द्वारा की जाएगी। इस संबंध में आवेदक को आवेदन के समय एक शपथ-पत्र (अफीडेविट) प्रस्तुत करना होगा।

6.3 बैंक ऋण:

आवेदक परियोजना लागत का अधिकतम 75% तक बैंक से ऋण ले सकता है। कम से कम 25% राशि स्वयं निवेश करनी होगी। पशुपालन विभाग/ **एस.एल.एम.** ऋण के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

6.4 स्वयं निवेश:

आवेदक 50% लागत स्वयं निवेश करेगा। यदि बैंक ऋण लिया जाता है, तो परियोजना की 50% लागत के लिए आवेदक को बैंक गारंटी देनी होगी।

6.5 परियोजना माइलस्टोन:

i. **माइलस्टोन-1:** लाभार्थी द्वारा अपनी पूंजी (मार्जिन मनी) तथा बैंक ऋण, यदि कोई है तो उसके साथ कुल का 50% व्यय। डी.एल.आई.सी./ डी.एन.ओ. को परियोजना के बिल एवं जिओ टैग्ड लोकेशन सहित फोटोग्राफ प्रस्तुत करने के बाद आवेदक को सब्सिडी की पहली किस्त (50%) जारी की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ii. **माइलस्टोन-2:** लाभार्थी द्वारा अपनी पूंजी (मार्जिन मनी) तथा बैंक ऋण, यदि कोई है तो उसके साथ कुल का 100% व्यय। डी.एल.आई.सी./ डी.एन.ओ. को परियोजना के बिल एवं जिओ टैग्ड लोकेशन, परियोजना पूर्णता/कमीशनिंग रिपोर्ट सहित फोटोग्राफ प्रस्तुत करने के बाद आवेदक को सब्सिडी की दूसरी किस्त (50%) जारी की जाएगी।

6.6 योजना की प्रकृति:

यह योजना राज्य वित्तपोषित है। केंद्र-राज्य समन्वित योजनाओं (जहां ओवर लैपिग अनुमान्य है।) की स्थिति में अवसंरचना/असेट निर्माण एवं सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में पीपीपी मॉडल को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।

6.7 मात्र पूंजीगत सब्सिडी:

केवल कैपिटल (अवसंरचना, उपकरण एवं तकनीक पर) सब्सिडी अनुमन्य। कार्यशील पूंजी, भूमि, वाहन आदि पर कोई सब्सिडी नहीं।

6.8 चैनलाइजिंग एजेंसी: सब्सिडी स्थानांतरण के लिए राज्य सरकार सिडबी, नाबार्ड, या बैंकों को चैनलाइजिंग एजेंसी के रूप में चिन्हित कर सकती है। ऐसी स्थिति में उक्त संस्था के साथ विभाग एम.ओ.यू. करेगा। चैनेलाइजिंग एजेंसी सब्सिडी प्रबंधन, लीडिंग बैंक/वित्तीय संस्थान को सब्सिडी स्थानांतरण हेतु जिओम्मेदार होगी। चैनलाइजिंग एजेंसी के साथ फंड ट्रान्सफर की औपचारिकतायें विभाग निर्धारित करेगा। सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।

6.9 स्व-वित्त पोषित परियोजनाएँ:

स्व-वित्त पोषित परियोजनाओं की स्थिति में संबंधित समिति'/एजेंसी द्वारा परियोजना की स्थिति का मूल्यांकन (अप्रेजल) आवश्यक होगा। परियोजना की कुल पूंजीगत लागत के कम से कम 50% व्यय होने के उपरान्त सब्सिडी की प्रथम किश्त जारी की जाएगी। अवशेष अनुदान राशि परियोजना की पूर्णता के उपरान्त देय होगा। प्रत्येक चरण पर किया जायेगा। ऋण की अदायगी सुनिश्चित कराने हेतु 3 वर्ष की बैंक गारंटी/श्योरिटी बॉन्ड अनिवार्य होगा।

6.10. राज्य सहायतित परियोजनाओं का वित्त पोषण एवं अनुदान सीमा :

राज्य पशुधन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के पशुधन विकास क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं, जैसे कि ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फार्म, पशु (भेड़, बकरी, सूकर आदि) मंडी आदि के विकास हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही, **पी.पी.पी. मोड** तथा **आवश्यकता अनुसार पी.पी.पी. मॉडल** में **सी.एस.आर. फंड / वायबिलिटी गैप फंड** के उपयोग के माध्यम से कार्यक्रमों का अभिसरण किया जाएगा। **नवाचारों हेतु अथवा जिन प्रस्तावों हेतु पूर्व से अनुदान सीमा निर्धारित नहीं है, के लिए अनुदान सीमा की अनुसंशा स्क्रीनिंग कमेटी के अनुरोध पर विशेषज्ञ सलाहकार समूह/प्रोजेक्ट अप्रेजल एण्ड फाइनेंस डिटर्मिनेशन कमेटी (पी.ए.एफ.डी.सी.) द्वारा की जाएगी।**

6.11. प्रादेशिक संस्थानों/उपक्रमों की स्थापना एवं विकास/स्टार्ट-अप हेतु वित्त पोषण:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यक्रम के अंतर्गत प्रादेशिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों /उपक्रमों की स्थापना, विकास तथा स्टार्ट-अप को सहायता प्रदान की जाएगी। डेयरी कोऑपरेटिव, मिल्क फेडरेशन तथा अन्य अच्छी ख्याति प्राप्त संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

7- उद्यमिता विकास हेतु प्रस्तावों के लिए आवेदन जमा करना तथा लाभार्थी चयन : एस.पी.एम.यू. द्वारा ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप निर्धारित किया जाएगा। समस्त आवेदन निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन किए जाएंगे।

परंतु, जब तक स्टेट लाइवस्टॉक मिशन का ऑनलाइन पोर्टल संचालित नहीं हो जाता, तब तक उद्यमिता विकास से संबंधित समस्त आवेदन ऑफलाइन मोड में संबंधित जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में पंजीकृत डाक द्वारा अथवा सीधे जमा किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया एस.पी.एम.यू. स्तर पर लॉटरी प्रणाली के माध्यम से संपादित की जाएगी। आधारभूत संरचनाओं के विकास संबंधी आवेदन एस.पी.एम.यू. में सीधे जमा किए जा सकेंगे। पोर्टल संचालित होने के उपरान्त लाभार्थियों का चयन "प्रथम आवक, प्रथम पावक" के आधार पर किया जाएगा। पशु सखी/महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

8- निगरानी एवं लेखा परीक्षा:

सभी फंड प्रवाह को एम.आई.एस. (प्रबंधन सूचना प्रणाली) के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। राज्य मिशन कार्यालय/ **एस.पी.एम.यू.** तथा सरकारी वित्त विभाग समय-समय पर उपयोग का ऑडिट करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार से धनराशि के दुरुपयोग को रोका जा सके।

8.1 एस.एल.एम. के अंतर्गत स्थापित सभी परियोजनाएँ, 100% सब्सिडी की अंतिम किश्त जारी होने के बाद न्यूनतम 3 वर्षों तक संचालित रहना अनिवार्य होगा। इस संबंध में आवेदन के समय आवेदक से एक शपथ-पत्र लिया जाएगा।

8.2 डी.एल.आई.सी. परियोजनाओं की निगरानी एवं सत्यापन का कार्य करेगा। यह सब्सिडी जारी होने के पश्चात 3 वर्षों तक प्रत्येक 6 माह में परियोजना के सुचारू संचालन के संबंध में रिपोर्ट राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

8.3 मंडलीय अपर निदेशक (ग्रेड-II) भी परियोजना की उचित निगरानी के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि सब्सिडी जारी होने के 3 वर्षों के भीतर परियोजना को बंद या विघटित किया जाता है, तो राज्य मिशन कार्यालय स्तर के अधिकारी सत्यापन करेंगे तथा राजस्व विभाग की सहायता से सब्सिडी की वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे।

9- फोर्स-मेज्योर:

ऐसी असाधारण घटनाएँ या हालात जो इंसानों के नियंत्रण से बाहर हों, जैसे कि 'दैवीय घटना' (जैसे प्राकृतिक आपदा) या युद्ध, हड़ताल, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, दंगे, अपराध जैसी घटनाएँ (लेकिन इसमें लापरवाही या गलत काम, पहले से पता चलने वाली/मौसमी बारिश और विशेष रूप से बाहर रखी गई अन्य घटनाएँ शामिल नहीं हैं), ऐसी स्थिति में,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विभाग/यू.पी.-एस.एल.एम. कानून के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थियों या संस्थानों को दी गई सब्सिडी या प्रोत्साहन राशि के बारे में निर्णय लेने के लिए मामले की समीक्षा करेगा।

10- अन्य

10.1 इस स्कीम के संचालन के दौरान विभाग द्वारा इन दिशा-निर्देशों में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन अथवा परिवर्तन किया जा सकेगा। ऐसे संशोधन/परिवर्तन संशोधन की प्रभावी तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों पर लागू होंगे।

10.2 सभी आवेदकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे योजना के अंतर्गत स्थापित परियोजना को स्थापना की तिथि से न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि तक संचालित करने हेतु विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में *श्योरिटी बॉन्ड/बंधपत्र* निष्पादित करेंगे।

10.3 अनुदान की आगामी किश्तें केवल बजट उपलब्धता के अधीन देय होंगी। अनुदान स्वीकृति, अनुदान देयता अथवा उससे संबंधित किसी भी विवाद अथवा निर्णय के संबंध में **अपर मुख्य सचिव (पशुपालन)** की अध्यक्षता वाली **प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी (पी.ए.सी.)** का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

11- समय सारिणी (Time Table of Events):

कार्यक्रम/गतिविधि	**समय-सीमा**
अधिसूचना जारी	31 जुलाई से पूर्व
आवेदन की अंतिम तिथि	31 अगस्त
जिला स्तर पर स्क्रीनिंग	सितंबर
डी.एल.आई.सी. बैठक	सितंबर
स्क्रीनिंग समिति को प्रेषण	सितंबर
स्वीकृति	अक्टूबर
पी.ए.सी. बैठक	अक्टूबर
पहली किश्त जारी	अक्टूबर
दूसरी किश्त एवं पूर्णता प्रमाणपत्र	जनवरी/फरवरी

समय-सीमा पी.ए.सी. *द्वारा संशोधित की जा सकती है।*

12- <u>उप-मिशन 1: पशुधन उद्यमिता एवं स्टार्टअप विकास उप-मिशन:</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गतिविधि 1.1: लघु डेरी इंटरप्रिन्योरशिप यूनिट: भैंस पालन इकाइयाँ – 5 से 10 पशु

घटक	विस्तृत प्रावधान
नाम	उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली मुर्रा भैंस पालन इकाइयाँ
उद्देश्य	उद्यमिता विकास, सतत व्यापार मॉडल को प्रोत्साहन, संगठित लघु डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देना; रोजगार सृजन; उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि; वैज्ञानिक पशु प्रबंधन के बारे मे जानकारी प्रसारित करना, मृत्यु दर में कमी लाना
लाभार्थी	प्रथम आवक-प्रथम पावक सिद्धांत के आधार पर सभी वर्गों के लाभार्थी पात्र होंगे। पशुसखी एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
इकाई आकार	भैंस पालन इकाइयाँ – 5 से 10 पशु
संकेतात्मक लागत	पूंजीगत लागत ₹ 6.42 लाख – ₹ 12.84 लाख (इकाई के आकार के अनुसार)
अवसंरचना मानक	ऊँचा शेड; जल निकासी व्यवस्था; खुला पैडॉक; टीकाकरण; बीमा
उत्पादन मॉडल	स्टॉल-फेड; अर्ध-गहन; प्रजनन एवं उत्पादन नाभिक
सब्सिडी पैटर्न	50% पूंजीगत सब्सिडी; अधिकतम ₹ 3.21 - 6.42 लाख; (5 एवं 10 भैस हेतु क्रमशः); 2 किस्तों में
सामान्य निर्देश /निगरानी	• ईयर टैग व बीमा कराना अनिवार्य, प्रथम अथवा द्वितीय ब्यात की भैंस क्रय की जाय • पूर्व में संचालित कामधेनु, मिनी/माइक्रो कामधेनु लाभार्थी इस योजना हेतु पात्र नहीं। • अनुदान की धनराशि का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अवमुक्त किया जायेगा। • टीकाकरण अनुपालन; 3 वर्ष तक निगरानी • मृत्यु दर ऑडिट; टीकाकरण अनुपालन; 3 वर्ष तक निगरानी

गतिविधि 1.2: लघु पशु(भेड़/ बकरी/ सूकर) इंटरप्रिन्योरशिप यूनिट:

घटक	विस्तृत प्रावधान
नाम	वैज्ञानिक भेड़, बकरी एवं सूकर पालन इकाइयाँ की स्थापना।
उद्देश्य	उद्यमिता विकास, सतत व्यापार मॉडल को प्रोत्साहन, संगठित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	लघु पशु फार्मिंग को बढ़ावा देना; रोजगार सृजन; उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि; वैज्ञानिक पशु प्रबंधन के बारे मे जानकारी प्रसारित करना, मृत्यु दर में कमी लाना
लाभार्थी	प्रथम आवक प्रथम पावक सिद्धांत पर सभी वर्गों के लाभार्थी पात्र। पशुसखी/महिला बचत समूह को प्राथमिकता ।
इकाई आकार	भेड़, बकरी पालन इकाइयाँ – 50+3; 100+5; 200+10; सूकर पालन इकाइयाँ 50+5; 100+10
संकेतात्मक लागत	भेड़, बकरी पालन प्रति 50 मादा इकाई ₹10 लाख ; सूकर पालन प्रति 50 मादा इकाई ₹25 लाख
अवसंरचना मानक	ऊँचा शेड; जल निकासी व्यवस्था; खुला पैडॉक; भेड़, बकरी पालन हेतु 1 एकड़ चारा (100 इकाई पर); टीकाकरण; 3 वर्षीय बीमा
उत्पादन मॉडल	स्टॉल-फेड; अर्ध-गहन; प्रजनन एवं उत्पादन नाभिक
सब्सिडी पैटर्न	50% पूंजीगत सब्सिडी; 2 किस्तों में
सामान्य निर्देश /निगरानी	• ईयर टैग व बीमा कराना अनिवार्य, प्रथम अथवा द्वितीय ब्यात की भैंस क्रय की जाय • पूर्व में विभागीय योजनाओ से भेड़/बकरी सूकर इकाई प्राप्त कर चुके लाभार्थी पत्र नहीं होंगे। • अनुदान की धनराशि का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अवमुक्त किया जायेगा। • टीकाकरण अनुपालन; 3 वर्ष तक निगरानी • मृत्यु दर ऑडिट; टीकाकरण अनुपालन; 3 वर्ष तक निगरानी

गतिविधि 1.3: आधुनिक बकरी मंडियां:

घटक	विस्तृत प्रावधान
नाम	आधुनिक बकरी मंडियां
उद्देश्य	बकरी व्यापार को औपचारिक बनाना; किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त कराना; निर्यात-मानक मूल्य श्रृंखला का निर्माण
लाभार्थी	व्यक्तिगत लाभार्थी, विभिन्न उत्पादक समूह, धारा-8 कंपनियां , डिपार्टमेंट फार प्रमोशन आफ इंडस्ट्री एण्ड इन्टर्नल ट्रैड (डीपीआईआईटी) में पंजीकृत स्टार्टअप्स तथा निजी कंपनियां
बकरी मंडी के	नीलामी शेड ; होल्डिंग एरिया ; डिजिटल भार मापन प्रणाली;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

घटक	आर एफ आई डी RFID टैगिंग; पशु चिकित्सा डेस्क; कोल्ड स्टोरेज; कम्पोस्टिंग; ईटीपी (अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र)
डिजिटल प्लेटफॉर्म	ई-नीलामी; किसान पंजीकरण; लाइव मूल्य; स्वास्थ्य डेटा अपलोड; भुगतान एकीकरण
निर्यात क्लस्टर हब	स्लॉटरहाउस; एच ए सी सी पी HACCP लाइन; ब्लास्ट फ्रीजिंग; पैकेजिंग; अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन
सब्सिडी पैटर्न	50% अनुदान (मंडी के लिए, अधिकतम ₹5 करोड़); अनुदान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) प्राप्त होने एवं परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा परीक्षण/अनुमोदन के उपरांत प्रदान किया जाएगा।
पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय	ईटीपी; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; रक्त प्रसंस्करण; दुर्गंध नियंत्रण
निगरानी	थ्रूपुट(प्रसंस्करण/प्रवाह दर की रिपोर्टिं) रिपोर्टिंग; निर्यात मूल्यांकन; ट्रेसबिलिटी अनुपालन

गतिविधि 1.4: आधुनिक सूकर मंडियां:

घटक	**विस्तृत प्रावधान**
नाम	आधुनिक सूकर मंडियां
उद्देश्य	सूकर व्यापार को औपचारिक बनाना; पशुपालकों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराना; प्रसंस्करण एवं निर्यात-उन्मुख मूल्य श्रृंखला विकसित करना
लाभार्थी	व्यक्तिगत लाभार्थी, विभिन्न उत्पादक समूह, धारा-8 कंपनियां, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) में पंजीकृत स्टार्टअप्स तथा निजी कंपनियां
सूकर मंडी के घटक	नीलामी शेड; होल्डिंग एरिया; डिजिटल भार मापन प्रणाली; RFID टैगिंग; पशु चिकित्सा डेस्क; क्वारंटाइन यूनिट; कोल्ड स्टोरेज; कम्पोस्टिंग यूनिट; ईटीपी (अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र)
डिजिटल प्लेटफॉर्म	ई-नीलामी; किसान पंजीकरण; लाइव मूल्य प्रदर्शन; स्वास्थ्य डेटा अपलोड; डिजिटल भुगतान एकीकरण; ट्रेसबिलिटी मॉड्यूल
निर्यात क्लस्टर हब	आधुनिक स्लॉटरहाउस; HACCP अनुरूप प्रोसेसिंग लाइन; ब्लास्ट फ्रीजिंग; वैक्यूम पैकेजिंग; मांस प्रसंस्करण इकाई; अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सब्सिडी पैटर्न	मंडी स्थापना हेतु 50% अनुदान; अधिकतम ₹5 करोड़ तक; अनुदान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) प्राप्त होने एवं परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा परीक्षण/अनुमोदन के उपरांत प्रदान किया जाएगा।
पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय	ईटीपी; ठोस एवं जैविक अपशिष्ट प्रबंधन; दुर्गंध नियंत्रण प्रणाली; रक्त एवं अपशिष्ट प्रसंस्करण; बायोगैस/रेंडरिंग यूनिट
निगरानी	थ्रूपुट (प्रसंस्करण/प्रवाह दर) रिपोर्टिंग; निर्यात मूल्यांकन; पशु स्वास्थ्य निगरानी; ट्रेसबिलिटी अनुपालन; पर्यावरणीय अनुपालन की नियमित समीक्षा

गतिविधि 1.5: ग्रामीण एवं व्यावसायिक कुक्कुट उद्यमिता-बैकयार्ड/लेयर यूनिट(50 पक्षी प्रति सदस्य)

घटक	विस्तृत प्रावधान
नाम	ग्रामीण कुक्कुट उद्यमिता- बैकयार्ड/लेयर यूनिट(50 पक्षी प्रति सदस्य)
उद्देश्य	स्वरोजगार सृजन; अंडा/मांस की उपलब्धता बढ़ाना
लाभार्थी/ पात्र संस्थाएँ	महिला स्वयं सहायता समूह/क्लस्टर हेतु बैकयार्ड/लेयर यूनिट, • 20 सदस्यीय स्वयं सहायता समूहों हेतु 1,000 लो-इनपुट पक्षी के बैकयार्ड/लेयर यूनिट(50 पक्षी प्रति सदस्य)- • टीकाकरण एवं फीड लिंकेज
पूंजीगत लागत	• 1,000 लो-इनपुट पक्षी के बैकयार्ड/लेयर यूनिट- ₹ 2.75 लाख (अनुमानित)
सहायता का पैटर्न	50% पूंजी अनुदान; 2 किश्तों में
आवश्यकताएँ	प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, बैंक स्टेटमेंट
निगरानी	रोग निगरानी, आय ट्रैकिंग, वार्षिक समीक्षा

गतिविधि 1.6 : ग्रामीण एवं व्यावसायिक कुक्कुट उद्यमिता- ब्रॉयलर यूनिट:

घटक	विस्तृत प्रावधान
नाम	ग्रामीण एवं व्यवसाइक कुक्कुट उद्यमिता- ब्रॉयलर यूनिट
उद्देश्य	विकेन्द्रीकृत पोल्ट्री उद्यमों को बढ़ावा देना; स्वरोजगार सृजन; मांस की उपलब्धता बढ़ाना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लाभार्थी/ पात्र संस्थाएँ	व्यक्तिगत लाभार्थी को ब्रॉयलर यूनिट
ब्रॉयलर पालन इकाई	• व्यक्तिगत लाभार्थियों हेतु 5,000 पक्षियों के ब्रॉयलर यूनिट • टीकाकरण एवं फीड लिंकेज; बायोसिक्योर हाउसिंग
पूंजीगत लागत	**पूंजीगत लागत -** ₹ 21.75 लाख (अनुमानित) 5,000 पक्षियों के ब्रॉयलर यूनिट- भूमि विकास, फेंसिंग, शेड निर्माण, स्टोर निर्माण, जल व्यवस्था/ओवरहेड टैंक, फागर/ सप्रिनकलर, विद्युतीकरण, डीजी सेट, उपकरण आदि
सहायता का पैटर्न	50% पूंजी अनुदान; 2 किश्तों में; अधिकतम ₹ 10.87 लाख
आवश्यकताएँ	भूमि/लीज, प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, बैंक स्टेटमेंट
निगरानी	रोग निगरानी, आय ट्रैकिंग, वार्षिक समीक्षा

गतिविधि 1.7 : 1000 प्रति सप्ताह क्षमता वाले इनक्यूबटोर, हैचर की स्थापना:

घटक	**विस्तृत प्रावधान**
नाम	1000 प्रति सप्ताह क्षमता वाले इनक्यूबटोर, हैचर की स्थापना (सोलर यूनिट 3 किलोवाट के साथ) से एवं वाणिज्यिक पोल्ट्री उद्यमिता प्रोत्साहन
उद्देश्य	विकेन्द्रीकृत पोल्ट्री उद्यमों को बढ़ावा देना; स्वरोजगार सृजन; गुणवत्ता युक्त चूजों की उपलब्धता बढ़ाना
लाभार्थी/ पात्र संस्थाएँ	व्यक्तिगत लाभार्थी, महिला स्वयं सहायता समूह
परियोजना लागत	1) 100 प्रति सप्ताह क्षमता वाला इनक्यूबेटर, हैचर सहित – ₹2,08,000/- 2) सोलर यूनिट (3 किलोवाट) – ₹1,32,000/- कुल लागत ₹3,40,000/-
सहायता का पैटर्न	50% पूंजी अनुदान 50% (अधिकतम ₹1,70,000/-) ; 2 किश्तों में
आवश्यकताएँ	पोल्ट्री फार्मिंग में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव। सरकार/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से पोल्ट्री फार्मिंग का प्रशिक्षण प्रमाणपत्र। (जिन लाभार्थियों ने पोल्ट्री फार्मिंग का प्रशिक्षण नहीं लिया है, उन्हें लाभ प्राप्त करने से पूर्व प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा। भूमि/लीज, प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, बैंक

	स्टेटमेंट
नियम एवं शर्तें	1) चयन के उपरांत लाभार्थी को जिला उप आयुक्त (पशुपालन एवं डेयरी) द्वारा जारी सूचना की तिथि से एक माह के भीतर अंडा इनक्यूबेटर खरीदना होगा। 2) स्थापना के बाद अंडा इनक्यूबेशन प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ करनी होगी। 3) निर्धारित समय सीमा में इनक्यूबेशन प्रक्रिया प्रारंभ न करने पर लाभार्थी को प्रतीक्षा सूची के अंत में स्थानांतरित कर दिया जाएगा तथा लाभ निरस्त माना जाएगा।
निगरानी	रोग निगरानी, आय ट्रैकिंग, वार्षिक समीक्षा
घटक	विस्तृत दिशानिर्देश

गतिविधि 1.8 : ग्रामीण एवं व्यावसायिक देशी कुक्कुट उद्यमिता – 1,000 देशी पक्षी इकाई

घटक	**विस्तृत प्रावधान**
नाम	ग्रामीण एवं व्यावसायिक देशी कुक्कुट उद्यमिता – 1,000 देशी पक्षी इकाई
उद्देश्य	देशी कुक्कुट पालन को बढ़ावा देना; ग्रामीण आजीविका एवं स्वरोजगार सृजन; पौष्टिक अंडा एवं मांस उत्पादन में वृद्धि; स्थानीय नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन को प्रोत्साहित करना
लाभार्थी/ पात्र संस्थाएँ	व्यक्तिगत लाभार्थी, महिला स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन (FPO), उत्पादक समूह
देशी कुक्कुट पालन इकाई	•1,000 देशी पक्षियों की वैज्ञानिक पालन इकाई। •बायोसिक्योर शेड, ब्रूडिंग व्यवस्था एवं रन एरिया। •टीकाकरण, संतुलित आहार एवं पशु चिकित्सा सहायता। •जल एवं फीड प्रबंधन, स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था।
पूंजीगत लागत	• रू0 14.00 लाख • 1,000 देशी पक्षियों की इकाई हेतु भूमि विकास, फेंसिंग, शेड निर्माण, ब्रूडिंग व्यवस्था, फीड एवं स्टोर रूम, जल व्यवस्था/ओवरहेड टैंक, विद्युतीकरण, उपकरण, फीडर, ड्रिंकर, ब्रूडर, बायोसिक्योरिटी व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक अवसंरचना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सहायता का पैटर्न	50% पूंजी अनुदान; 2 किश्तों में; अधिकतम ₹ 7.00 लाख।
आवश्यकताएँ	भूमि/लीज, पोल्ट्री प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (सरकार/मान्यता प्राप्त संस्थान), पहचान पत्र, बैंक स्टेटमेंट, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) (यदि आवश्यक हो)।
नियम एवं शर्तें	1. चयन के उपरांत निर्धारित अवधि के भीतर इकाई की स्थापना अनिवार्य होगी। 2. प्रथम किश्त प्राप्त होने के पश्चात शेड एवं आवश्यक अवसंरचना का निर्माण निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना होगा। 3. इकाई स्थापना के उपरांत निर्धारित संख्या में देशी चूजों का क्रय एवं पालन प्रारंभ करना अनिवार्य होगा। 4. टीकाकरण, बायोसिक्योरिटी एवं विभागीय तकनीकी मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
निगरानी	रोग निगरानी, मृत्यु दर एवं उत्पादन ट्रैकिंग, आय आकलन, वार्षिक समीक्षा एवं विभागीय निरीक्षण।

गतिविधि 1.9 : विदेशी एवं विशिष्ट कुक्कुट उद्यमिता (एकल इकाइयाँ):

घटक	**विस्तृत प्रावधान**
नाम	जापानी बटेर, गिनी फाउल, बतख एवं टर्की इकाइयों की स्थापना
उद्देश्य	क्षेत्र का विविधीकरण; विशेष (निश) उद्यमों को बढ़ावा; क्षेत्र-विशिष्ट क्लस्टर; उच्च लाभ वाली मूल्य श्रृंखलाएँ
लाभार्थी/ पात्र संस्थाएँ	व्यक्तिगत लाभार्थी, विभिन्न उत्पादक समूह
न्यूनतम इकाई आकार	बटेर – 2,000; गिनी फाउल – 2,000; बतख – 1,000; टर्की – 2,000
अवसंरचना मानक	वैज्ञानिक शेड; जलवायु नियंत्रण; स्वचालित प्रणालियाँ; फेंसिंग; अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली; बतख के लिए तालाब; टर्की के लिए नियंत्रित आवास
क्लस्टर मॉडल	हब: ब्रीडर फार्म, हैचरी, फीड यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, मिनी प्रोसेसिंग यूनिट स्पोक्स: ग्रो-आउट फार्म
प्रशिक्षण	अनिवार्य 7-दिवसीय उत्कृष्टता केंद्र प्रशिक्षण + बायोसिक्योरिटी +

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	वित्तीय साक्षरता
सब्सिडी पैटर्न	50% पूंजी अनुदान; अधिकतम ₹30 लाख (व्यक्ति), ₹1.5 करोड़ (FPO)
निगरानी	मृत्यु दर ट्रैकिंग; उत्पादन रिपोर्टिंग (2 वर्ष); बायोसिक्योरिटी ऑडिट

गतिविधि 1.10 : क्लस्टर बेस्ड पॉल्ट्री प्रोडक्शन इकोसिस्टम डेवलपमेंट कार्यक्रम (पीपीसी माडल):

घटक	**विस्तृत प्रावधान**
गतिविधि का नाम	उत्तर प्रदेश के चयनित क्षेत्रों में एकीकृत पोल्ट्री उत्पादन क्लस्टर (PPCs) की स्थापना
उद्देश्य	• बिखरे हुए पोल्ट्री उत्पादन को भौगोलिक रूप से एकीकृत क्लस्टरों में परिवर्तित करना • आर्थिक रूप से व्यवहार्य पोल्ट्री पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना • वित्त वर्ष 2028-29 तक अंडा एवं ब्रॉयलर में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना • वाणिज्यिक, मध्यम एवं बैकयार्ड उद्यमिता को बढ़ावा देना • बायोसिक्योरिटी एवं ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करना • आकांक्षी जिलों में रोजगार सृजन
क्लस्टर संरचना	छह पीपीसी (सहारनपुर-3 जनपद, लखनऊ-7 जनपद, झाँसी-3 जनपद, बरेली- 5 जनपद, महाराजगंज -5 जनपद, वाराणसी- 3 जनपद), जो कुल 26 जिलोंको कवर करते हैं। प्रत्येक क्लस्टर में निम्न शामिल होंगे:- • लेयर एवं ब्रॉयलर फार्म • बैकयार्ड यूनिट • हैचरी • फीड मिल (पशु एवं पशु आहार) • पशु चिकित्सा प्रयोगशालाएं • कोल्ड चेन • प्रोसेसिंग प्लांट (एग पाउडर, लिक्विड एग, ड्रेस्ड चिकन) • वेयरहाउसिंग • उत्कृष्टता केंद्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	• पीएमयू
उत्कृष्टता केंद्र	प्रशिक्षण एवं कौशल प्रकोष्ठ; स्वास्थ्य सेवा एवं MVU प्रकोष्ठ; अनुसंधान एवं विकास (R&D) प्रकोष्ठ; बाजार सूचना प्रकोष्ठ
शासन मॉडल	PPP / सहकारी / FPO-आधारित; क्लस्टर-स्तरीय PMU (कम से कम 1 पशु चिकित्सा विशेषज्ञ + 1 प्रबंधन पेशेवर)
अवसंरचना सहायता	फीड मिल, हैचरी, दूध/मांस/ऊन प्रोसेसिंग इकाइयाँ, कोल्ड स्टोरेज, ETP, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली
सहायता का पैटर्न	• PPP मॉडल अपनाया जाएगा। • Viability Gap Funding (VGF) आवश्यकता-आधारित (Need-Based) होगी तथा न्यूनतम वित्तीय उद्धरण/अनुरोध (Minimum Quote) के आधार पर निर्धारित की जाएगी। • अनुदान/वीजीएफ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) प्राप्त होने एवं परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा परीक्षण/अनुमोदन के उपरांत प्रदान किया जाएगा।
अपवर्जन	कार्यशील पूंजी, भूमि खरीद, वाहनों के लिए कोई सब्सिडी नहीं
पात्र संस्थाएँ	निजी इंटीग्रेटर, FPOs, सेक्शन 8 कंपनियाँ, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय (PPP), राज्य एजेंसियाँ
कार्यान्वयन	EOI → DPR → PAC → SEC → माइलस्टोन-आधारित निधि जारी
निगरानी	त्रैमासिक रिपोर्टिंग, वार्षिक ऑडिट, बायोसिक्योरिटी निरीक्षण, पूर्णता के बाद 3 वर्ष की समीक्षा

गतिविधि 1.11: कौशल विकास एवं कृषि-उद्यमिता प्रोत्साहन हेतु उत्कृष्टता प्रशिक्षण केंद्रों का विकास :

घटक	**विस्तृत प्रावधान**
नाम	पशुधन कौशल विकास एवं कृषि-उद्यमिता कार्यक्रम
उद्देश्य	विभिन्न पशुपालन/ कुक्कुट इकाइयों की स्थापना एवं संचालन के संबंध मे तथा पशुधन विकास क्षेत्र मे नवाचरों से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण क्षमताओं/ केंद्रों की स्थापना ; गतिशीलता सहायता; प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के उद्देश्य से **उत्कृष्टता प्रशिक्षण केंद्रों का विकास**
प्रशिक्षण मॉड्यूल	पशुपालन; बायोसिक्योरिटी; डिजिटल पशुधन प्रबंधन; वित्तीय साक्षरता; मूल्य संवर्धन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लाभार्थी / प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान	पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय; विभागीय प्रशिक्षण संस्थान, उत्कृष्टता केंद्र (COEs); जिला प्रशिक्षण केंद्र
उद्यमिता इनक्यूबेशन मे सहायता	यह केंद्र स्टार्टअप मेंटरिंग; बिजनेस प्लान सहायता; क्रेडिट लिंकिंग मे भी सहायक होंगे।
वित्तीय सहायता	100% प्रशिक्षण लागत; वजीफा; 50% टूलकिट सब्सिडी
निगरानी	रोजगार ट्रैकिंग; आय वृद्धि की समीक्षा

13- **<u>उप-मिशन 2: पशुधन एवं पोल्ट्री नस्ल विकास उप-मिशन</u>:**

गतिविधि 2.1: स्वदेशी नस्ल जीनोमिक फार्म/ ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की स्थापना:

गतिविधि का नाम	स्वदेशी नस्लों (गाय एवं बकरी/ बकरा) के जीनोमिक उत्कृष्टता केंद्र (IVF एवं ETT आधारित) की स्थापना
उद्देश्य	1. राज्य प्रजनन कार्यक्रमों हेतु उत्कृष्ट सांड एवं वीर्य उपलब्ध कराना। 2. स्वदेशी नस्लों का संरक्षण एवं सुधार करना। 3. IVF एवं भ्रूण प्रत्यारोपण (Embryo Transfer) के माध्यम से आनुवंशिक गुणवत्ता बढ़ाना। 4. न्यूक्लियस झुंड स्थापित करना। इससे राज्य प्रजनन कार्यक्रमों/ पशुपालकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पशु उपलब्ध हो सकेंगे।
लाभार्थी/पात्र संस्थाएँ	PPP इकाइयाँ, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त प्रजनन कंपनियाँ
प्रमुख विशेषताएँ	• भ्रूण फ्रीजिंग क्षमता सहित IVF प्रयोगशाला • भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक (ETT) इकाइयाँ • नस्ल-विशिष्ट न्यूक्लियस फार्म • जीनोमिक चयन प्रयोगशाला • डेटा रिकॉर्डिंग एवं प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली • PPP के तहत निजी प्रजनकों को राज्य भूमि लीज पर उपलब्ध कराना • उत्कृष्ट सांड/वीर्य डोज की राज्य द्वारा खरीद की गारंटी • रोग-मुक्त प्रमाणन प्रोटोकॉल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	• डिजिटल पशुधन डेटाबेस से एकीकरण
सहायता का पैटर्न	• 50% पूंजी अनुदान • प्रति केंद्र अधिकतम ₹2 करोड़ • भूमि दीर्घकालिक लीज पर उपलब्ध • आवर्ती व्यय (OPEX) के लिए कोई सहायता नहीं
आवश्यक शर्तें	• IVF/ETT में तकनीकी विशेषज्ञता • बायोसिक्योरिटी अनुपालन • विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित DPR • आनुवंशिक मूल्यांकन ढांचा • बैंक वित्तपोषण का प्रमाण
कार्यान्वयन एजेंसियाँ	पशुपालन विभाग।
निगरानी एवं अनुवर्ती कार्य	• वार्षिक आनुवंशिक सुधार सूचकांक की समीक्षा • बछड़ों के जन्म एवं उत्पादकता डेटा की ट्रैकिंग • प्रत्येक 2 वर्ष में प्रदर्शन ऑडिट

उप मिशन-2 के अंर्तगत उक्त व्यवस्था निराश्रित गो आश्रय स्थलों के लिए भी अनुपालित की जायेगी।

14- <u>उप-मिशन 3: पशुपालन क्षेत्र में नवाचार, डिजिटल लाइव स्टाक, उद्यम आधुनिकीकरण, ए.आई.अनुप्रयोग, जलवायु सहनशील तकनीक को बढ़ावा देने हेतु उप-मिशन</u>: इसके अंतर्गत पशुपालन क्षेत्र मे सतत विकास हेतु विभिन्न नवाचार सम्मिलित किए गए है।

गतिविधि 3.1: हरित डेयरी: गोबर से बायोगैस बनाना और कार्बन क्रेडिट से एकीकरण - पशुधन अपशिष्ट को बायोगैस या बायो-सीएनजी में परिवर्तित करने से कचरे का स्वच्छ और सुरक्षित निपटान सुनिश्चित होगा साथ ही बायोगैस, जैविक खाद और कार्बन क्रेडिट के माध्यम से आय अर्जित करने के अवसर भी प्राप्त होंगे।

घटक (Component)	**विस्तृत दिशानिर्देश** (Detailed Guidelines)
गतिविधि का नाम	बड़े डेयरी यूनिट्स एवं गौशालाओं का संपीड़ित बायो-गैस (CBG) एवं कार्बन क्रेडिट पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एकीकरण
पात्र संस्थाएँ	डेयरी सहकारी समितियाँ, बड़े डेयरी फार्म, गौशालाएँ, निजी बायो-ऊर्जा कंपनियाँ (PPP मोड)
उद्देश्य	1. पशुधन अपशिष्ट को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	2. मीथेन उत्सर्जन को कम करना। 3. कार्बन क्रेडिट के माध्यम से अतिरिक्त आय के स्रोत बनाना। 4. गौशालाओं एवं डेयरी फार्म में अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना। 5. ग्रामीण क्षेत्रों में परिपत्र जैव-अर्थव्यवस्था (Circular Bio-economy) को बढ़ावा देना।
प्रमुख विशेषताएँ	• बड़े डेयरी क्लस्टरों में एनारोबिक डाइजेस्टर की स्थापना • CBG शुद्धिकरण एवं बॉटलिंग प्रणाली • स्लरी का प्रसंस्करण कर जैविक खाद बनाना • जहाँ संभव हो, SATAT योजना के गैस ग्रिड से एकीकरण • पंजीकृत कार्बन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्बन क्रेडिट का समेकन • मीथेन कैप्चर डेटा की डिजिटल निगरानी • अपशिष्ट संग्रहण लॉजिस्टिक्स का एकीकरण • संचालन एवं रखरखाव हेतु PPP मॉडल • बड़ी गौशालाओं वाले जिलों को प्राथमिकता • जलवायु-लचीला वित्तपोषण दृष्टिकोण
सहायता का पैटर्न	• परियोजना लागत के लिए आवश्यकता अनुसार वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) उपलब्ध कराई जा सकेगी, जिसका निर्धारण DPR मूल्यांकन एवं सक्षम समिति की स्वीकृति के आधार पर किया जाएगा। • कार्बन क्रेडिट समेकन हेतु सुविधा समर्थन • राज्य द्वारा वित्तपोषित तकनीकी परामर्श सहायता • आवर्ती संचालन हेतु कोई सब्सिडी नहीं • **पंचायत राज विभाग के साथ अभिसरण** (Dovetailing) स्थापित किया जाएगा ताकि गोबर संग्रहण, अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक सहभागिता तथा ग्रामीण अवसंरचना समर्थन को सुदृढ़ किया जा सके।
6. आवश्यक शर्तें	• न्यूनतम गोबर उपलब्धता (DPR के अनुसार) • भूमि स्वामित्व/लीज • पर्यावरणीय स्वीकृति • बिजली/पानी कनेक्शन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	• कार्बन लेखांकन तंत्र • बैंक स्वीकृति पत्

गतिविधि 3.2: पशु ट्रेसबिलिटी सिस्टम अंतर्गत मजल (थूथन) आधारित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली: मजल (थूथन) आधारित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली/ RFID के माध्यम से ट्रैकिंग के विकास के साथ ही भैंस मांस ट्रेसबिलिटी एवं एक्स्पोर्ट इन्टेग्रिटी प्रणाली ("फार्म-से-पोर्ट" मॉडल) को पोत्साहित किया जाएगा।

घटक	विस्तृत दिशा-निर्देश
गतिविधि का नाम	एआई-आधारित मवेशी एवं भैंस थूथन (Muzzle) बायोमेट्रिक डिजिटल पहचान प्रणाली
उद्देश्य	1. पारंपरिक कान टैगिंग को धोखाधड़ी-रोधी बायोमेट्रिक पहचान से बदलना। 2. बीमा दावों के सत्यापन को अधिक सक्षम बनाना। 3. डिजिटल पशुधन रजिस्ट्री (NDLM) के साथ एकीकरण करना। 4. ऋण लिंकिंग और ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करना।
लाभार्थी/ पात्र इकाइयाँ	राज्य एजेंसियाँ, प्रमाणित एआई तकनीशियन, बीमा कंपनियाँ (इंटीग्रेशन स्तर पर)।
प्रमुख विशेषताएं	• एआई-आधारित थूथन प्रिंट पहचान एल्गोरिदम। • फील्ड अधिकारियों द्वारा मोबाइल ऐप से इमेज कैप्चर। • ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षित डेटा संग्रहण। • बीमा डेटाबेस के साथ एकीकरण। • बैंक ऋण प्रणाली के साथ API इंटीग्रेशन। • पशु के स्थान की GPS मैपिंग। • दूरस्थ क्षेत्रों के लिए ऑफलाइन डेटा कैप्चर। • फील्ड ऑपरेटरों के लिए डिवाइस सब्सिडी। • रियल-टाइम सत्यापन पोर्टल। • रोग निगरानी प्रणाली के साथ एकीकरण।
सहायता का पैटर्न	• मुख्य सॉफ्टवेयर के लिए 100% राज्य वित्तपोषण। • फील्ड ऑपरेटरों के लिए 50% डिवाइस सब्सिडी। • प्रशिक्षण पूरी तरह राज्य द्वारा वित्तपोषित।
आवश्यक आवश्यकताएँ	• प्रमाणित फील्ड ऑपरेटर। • कैमरा मानकों वाला स्मार्टफोन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	• डेटा सुरक्षा अनुपालन। • डिजिटल KYC एकीकरण।
कार्यान्वयन एजेंसियाँ	पशुपालन विभाग, आईटी विभाग।
निगरानी एवं फॉलो-अप	• वार्षिक डेटा ऑडिट। • धोखाधड़ी मामलों में कमी की निगरानी। • बीमा दावों के सत्यापन के आँकड़े। • सिस्टम प्रदर्शन का ऑडिट।

गतिविधि 3.3: राज्य डिजिटल पशुधन मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म ("ई-पशुशाला") की स्थापना

घटक	विस्तृत दिशा-निर्देश
गतिविधि का नाम	राज्य डिजिटल पशुधन मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म ("ई-पशुशाला") की स्थापना
उद्देश्य	1. पशुधन व्यापार को औपचारिक बनाना। 2. सत्यापित ब्रीडर (प्रजनक) सूची उपलब्ध कराना। 3. पारदर्शी डिजिटल पशुधन नीलामी को सक्षम बनाना। 4. पशु चिकित्सा टेली-परामर्श सेवाओं का एकीकरण करना। 5. बिचौलियों के शोषण को कम करना।
प्रमुख विशेषताएँ	• सत्यापित ब्रीडर पंजीकरण एवं KYC प्रणाली। • बायोमेट्रिक आईडी लिंक के साथ डिजिटल पशुधन लिस्टिंग।• ऑनलाइन नीलामी प्रणाली। • सुरक्षित भुगतान गेटवे एकीकरण। • पशु चिकित्सा टेली-परामर्श मॉड्यूल। • इनपुट सप्लाई मार्केटप्लेस (चारा, दवाएं) का एकीकरण। • रेटिंग एवं समीक्षा प्रणाली। • धोखाधड़ी पहचान (Fraud Detection) एल्गोरिदम। • मोबाइल ऐप एवं वेब-आधारित इंटरफेस। • बीमा प्रदाताओं के साथ एकीकरण। • बहुभाषी समर्थन। • समर्पित शिकायत निवारण प्रणाली।
सहायता का पैटर्न	• प्लेटफॉर्म विकास हेतु 100% राज्य वित्तपोषण। • स्थिरता हेतु लेन-देन शुल्क (Transaction Fee) मॉडल। • प्रारंभिक 3 वर्षों के लिए प्रचारात्मक समर्थन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पात्र इकाइयाँ	पंजीकृत पशुधन किसान, FPOs, ब्रीडर (प्रजनक), व्यापारी।
आवश्यक आवश्यकताएँ	• पशुधन डिजिटल आईडी पंजीकरण। • KYC सत्यापन। • बायो-सिक्योरिटी एवं स्वास्थ्य प्रमाणन का अनुपालन। • बैंक खाता लिंकिंग।
कार्यान्वयन एजेंसियाँ	मिशन निदेशालय, राज्य आईटी विभाग।
निगरानी एवं अनुवर्ती कार्य	• मासिक लेन-देन मात्रा का विश्लेषण। • धोखाधड़ी मामलों की निगरानी। • उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण। • वार्षिक वित्तीय स्थिरता की समीक्षा।

गतिविधि 3.4: पशुधन डेटा स्टैक एवं एआई-आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली:

घटक	विस्तृत दिशा-निर्देश
1. गतिविधि का नाम	एआई-आधारित पशुधन डेटा स्टैक एवं निर्णय बुद्धिमत्ता (Decision Intelligence) प्लेटफॉर्म का विकास
2. उद्देश्य	1. डेटा-आधारित पशुधन नीति निर्माण को सक्षम बनाना। 2. रोग प्रकोप की भविष्यवाणी करना। 3. उत्पादकता पैटर्न का विश्लेषण करना। 4. बाजार संबंधी पूर्वानुमान (Market Intelligence) प्रदान करना।
3. प्रमुख विशेषताएँ	• NDLM, दुग्ध डेटा, कृत्रिम गर्भाधान (AI) रिकॉर्ड, मत्स्य उत्पादन आदि को एकीकृत करने वाला केंद्रीकृत डेटा वेयरहाउस। • एआई-आधारित रोग पूर्वानुमान मॉडलिंग। • हीट स्ट्रेस प्रभाव विश्लेषण। • बाजार मूल्य पूर्वानुमान उपकरण। • उत्पादकता बेंचमार्किंग डैशबोर्ड। • निर्यात ट्रैकिंग डैशबोर्ड। • जिला-स्तरीय प्रदर्शन रैंकिंग। • रिसर्च फेलो के डेटा रिपोर्ट के साथ एकीकरण। • आपदा पुनर्प्राप्ति (Disaster Recovery) बैकअप के साथ सुरक्षित क्लाउड होस्टिंग। • शोध संस्थानों के लिए ओपन API एक्सेस।
4. सहायता का	• विकास एवं रखरखाव (प्रारंभिक 5 वर्षों) हेतु 100% राज्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पैटर्न	वित्तपोषण।
5. पात्र इकाइयाँ	राज्य विभाग, अनुमोदित शोध संस्थान (केवल डेटा एक्सेस हेतु)।
6. आवश्यक आवश्यकताएँ	• डेटा साझा करने के समझौते। • साइबर सुरक्षा अनुपालन। • वार्षिक डेटा सत्यापन ऑडिट।
7. कार्यान्वयन एजेंसियाँ	मिशन निदेशालय, राज्य आईटी विभाग।
8. निगरानी एवं अनुवर्ती कार्य	• त्रैमासिक विश्लेषण रिपोर्टिंग। • मॉडल सटीकता का वार्षिक सत्यापन। • स्वतंत्र आईटी सुरक्षा ऑडिट। • नीतिगत प्रभाव का मूल्यांकन।

गतिविधि 3.5: PPP आधारित मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां

घटक	विस्तृत दिशा-निर्देश
1. गतिविधि का नाम	सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के अंतर्गत GPS-सक्षम मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना
2. उद्देश्य	1. ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में त्वरित पशु चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करना। 2. पशुधन मृत्यु दर एवं रोग प्रसार को कम करना। 3. सेवा उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता में सुधार करना। 4. पशु चिकित्सा केस प्रबंधन का डिजिटलीकरण करना। 5. आकांक्षी जनपदों में पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुंच सुदृढ़ करना।
3. प्रमुख विशेषताएं	• 1962 हेल्पलाइन से एकीकृत GPS-आधारित पशु चिकित्सा एम्बुलेंस। • प्रत्येक वाहन में पंजीकृत पशु चिकित्सक, प्रशिक्षित वाहन चालक (Driver) एवं पशु चिकित्सा परिचर/सहायक (Veterinary Attendant/Para-veterinary Staff) की उपलब्धता। • प्रत्येक वाहन में डायग्नोस्टिक किट, लघु शल्य चिकित्सा उपकरण, औषधियां एवं कोल्ड चेन स्टोरेज की व्यवस्था। • पशुधन रजिस्ट्री से जुड़ी डिजिटल केस लॉगिंग प्रणाली। • निजी पशु चिकित्सा सेवा प्रदाताओं हेतु प्रदर्शन-आधारित भुगतान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	मॉडल। • जिला स्तर पर समर्पित कॉल सेंटर। • सेवा ट्रैकिंग एवं फीडबैक हेतु मोबाइल एप्लीकेशन। • रियल-टाइम रूट ऑप्टिमाइजेशन प्रणाली। • आपातकालीन रोग प्रकोप प्रतिक्रिया प्रणाली से एकीकरण। • आवश्यकता अनुसार सेवा शुल्क आधारित स्थायित्व मॉडल।
4. सहायता का स्वरूप	• PPP मॉडल अपनाया जाएगा। • Viability Gap Funding (VGF) आवश्यकता-आधारित (Need-Based) होगी तथा न्यूनतम वित्तीय उद्धरण/अनुरोध (Minimum Quote) के आधार पर निर्धारित की जाएगी। • अनुदान/वीजीएफ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) प्राप्त होने एवं परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा परीक्षण/अनुमोदन के उपरांत प्रदान किया जाएगा।
5. पात्र संस्थाएं	निजी पशु चिकित्सा सेवा प्रदाता, वेटरिनरी स्टार्टअप, सहकारी समितियां, PPP ऑपरेटर।
6. आवश्यक शर्तें	• पंजीकृत पशु चिकित्सक उपलब्ध होना। • GPS-सक्षम वाहन होना। • डिजिटल रिपोर्टिंग अनुपालन सुनिश्चित करना। • न्यूनतम 5 वर्षों हेतु संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) अनुबंध। • बैंक वित्तपोषण का प्रमाण प्रस्तुत करना।
7. कार्यान्वयन एजेंसियां	पशुपालन विभाग, जिला प्रशासन, मिशन निदेशालय।
8. अनुश्रवण एवं अनुवर्ती कार्यवाही	• मासिक सेवा प्रतिक्रिया समय की रिपोर्टिंग। • पशुधन मृत्यु दर में कमी से संबंधित आंकड़ों की निगरानी। • लाभार्थी फीडबैक प्रणाली। • KPI आधारित वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा एवं अनुबंध नवीनीकरण।

15- **<u>उप-मिशन 4: चारा एवं आहार विकास उप-मिशन</u>**:

इसके अंतर्गत वैज्ञानिक फॉर्मूलेशन के आधार पर मशीन आधारित फीड मिक्सिंग द्वारा संतुलित पशु आहार (**टी एम आर**) बनाने से चारे की बर्बादी कम होगी तथा लागत में भी कमी आएगी। पशुओं के लिए चारा और आहार की उपलब्धता बढ़ाने हेतु छोटे से मध्यम स्तर के साइलेज निर्माण, हे ब्लॉक इकाइयों/उद्यमों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

गतिविधि 4.1: सामुदायिक स्मार्ट टीएमआर (टोटल मिक्स्ड राशन) इकाई-

घटक	विस्तृत दिशा-निर्देश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गतिविधि का नाम	स्वचालित सामुदायिक कुल मिश्रित आहार (TMR) इकाइयों की स्थापना
उद्देश्य	1. दुग्ध उत्पादन में 15–20% की वृद्धि करना। 2. किफायती दरों पर संतुलित पशु आहार उपलब्ध कराना। 3. युवा-नेतृत्व वाले कृषि उद्यमों का सृजन करना।
लाभार्थी /पात्र इकाइयाँ	FPOs, युवा उद्यमी, डेयरी सहकारी समितियाँ।
प्रमुख विशेषताएँ	• स्वचालित फीड मिक्सिंग प्लांट (10–20 मीट्रिक टन/दिन क्षमता)। • साइलेज (Silage) भंडारण गड्ढे। • मिनरल मिक्सचर डोजिंग प्रणाली। • अंतिम मील वितरण हेतु डिलीवरी वाहन। • डिजिटल ऑर्डर एवं बिलिंग प्रणाली। • FPO संचालित मॉडल। • पोषण परामर्श सेवाएँ।
सहायता का पैटर्न	• 50% पूंजीगत सब्सिडी। • अधिकतम ₹1 करोड़ प्रति संयंत्र।
आवश्यक आवश्यकताएँ	• भूमि स्वामित्व/लीज। • तकनीकी ऑपरेटर प्रमाणन। • आहार गुणवत्ता परीक्षण प्रोटोकॉल। • बैंक ऋण स्वीकृति।
निगरानी एवं अनुवर्ती कार्य	• फीड गुणवत्ता ऑडिट।• वार्षिक वित्तीय स्थिरता समीक्षा।

गतिविधि 4.2: साइलेज निर्माण इकाई से उद्यमिता विकास:

घटक	विस्तृत दिशा-निर्देश
गतिविधि का नाम	साइलेज निर्माण इकाई इकाइयों की स्थापना से उद्यमिता विकास
उद्देश्य	1. रोजगार सृजन 2. हरे चारे की कम उपलब्धता वाले मौसम मे चरे की कमी को पूरा करना 3. दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। 4. उचित दरों पर संतुलित पशु आहार उपलब्धता बढ़ाना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सहायता का स्वरूप	साइलेज हार्वेस्टर (एक ही समय में चार कतारों की कटाई) एवं साइलेज बेलर
लाभार्थी /पात्र इकाइयाँ	महिला स्वयं सहायता समूह की लाभार्थी, युवा उद्यमी, डेयरी सहकारी समितियाँ। स्वयं का न्यूनतम 50 HP ट्रैक्टर होना चाहिए कम से कम 10 बड़े पशु / 100 बकरी या भेड़ वाले लाभार्थी
परियोजना लागत	₹26,00,000/- की सीमा के भीतर
सहायता का पैटर्न	• 50% पूंजीगत सब्सिडी। • अधिकतम ₹13,00,000/- ।
आवश्यक आवश्यकताएँ	लाभार्थी के नाम पर ट्रैक्टर पंजीकरण कार्ड (RC कार्ड) एक माह का बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना होगा,जिसके साथ औपचारिक बैंक ऋण स्वीकृति पत्र संलग्न हो; अथवा स्वयं वित्तपोषित इकाइयों के मामले में जमा की गई न्यूनतम स्वयं अंश राशि का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। भूमि स्वामित्व/लीज। तकनीकी ऑपरेटर प्रमाणन। आहार गुणवत्ता परीक्षण प्रोटोकॉल।
निगरानी एवं अनुवर्ती कार्य	• दुग्ध उत्पादन वृद्धि की निगरानी। • फीड गुणवत्ता ऑडिट। • वार्षिक वित्तीय स्थिरता समीक्षा।

गतिविधि 4.3 – हाइड्रोपोनिक हरा चारा उत्पादन इकाई योजना (सभी प्रकार के चारे को समाहित करते हुए)

घटक	**विस्तृत दिशा-निर्देश**
1. गतिविधि का नाम	हाइड्रोपोनिक हरा चारा उत्पादन इकाई योजना
2. उद्देश्य	1. वर्षभर हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 2. जल-संरक्षण आधारित चारा उत्पादन प्रणाली को बढ़ावा देना। 3. मौसमी चारा उत्पादन पर निर्भरता कम करना। 4. पोषक तत्वों से भरपूर चारे के माध्यम से पशुधन उत्पादकता बढ़ाना। 5. विकेन्द्रीकृत एवं जलवायु-सहिष्णु चारा उत्पादन प्रणाली को प्रोत्साहित करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. प्रमुख विशेषताएँ	• 7–10 दिन के उत्पादन चक्र वाली हाइड्रोपोनिक चारा इकाइयों की स्थापना। • इकाई में मल्टी-टियर रैक, ट्रे, सिंचाई/मिस्टिंग सिस्टम, पम्प एवं जल भंडारण टैंक की व्यवस्था। • शेडनेट/पॉलीहाउस संरचना का प्रावधान। • विभिन्न प्रकार के चारे जैसे मक्का, जौ, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ओट्स, लोबिया आदि का उत्पादन। • कम भूमि उपलब्धता वाले क्षेत्रों (शहरी/पेरि-अर्बन) हेतु उपयुक्त। • डेयरी पशुपालकों एवं छोटे जुगाली करने वाले पशुपालकों के लिए उपयोगी। • जलवायु-सहिष्णु एवं फीड एफिशिएंसी कार्यक्रमों के साथ एकीकरण। • उत्पादन, रख-रखाव एवं पशुओं को खिलाने संबंधी प्रशिक्षण का प्रावधान।
4. सहायता का स्वरूप	• इकाई लागत पर 50% पूंजीगत अनुदान। • अधिकतम अनुदान ₹27,500। • विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) अनुमोदन के आधार पर बड़े यूनिट हेतु अतिरिक्त सहायता। • स्थापना एवं सत्यापन के उपरांत अनुदान जारी किया जाएगा।
5. पात्र लाभार्थी	• व्यक्तिगत किसान • भूमिहीन पशुपालक • महिला लाभार्थी/स्वयं सहायता समूह (SHGs) • लघु एवं सीमांत किसान • एफपीओ सदस्य
6. आवश्यक शर्तें	• न्यूनतम 5 बड़े पशु अथवा 10 छोटे जुगाली करने वाले पशु होना आवश्यक। • जल एवं विद्युत की उपलब्धता। • हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन संबंधी प्रशिक्षण पूर्ण होना। • छोटे स्थान (शेड/छत/आँगन) की उपलब्धता।
7. कार्यान्वयन ढाँचा	• जल-संकट एवं चारा-अभाव वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता। • जनपद स्तर पर प्रदर्शन इकाइयों की स्थापना। • डेयरी एवं जलवायु-सहिष्णुता कार्यक्रमों के साथ अभिसरण। • फील्ड स्टाफ एवं पशु सखियों के माध्यम से विस्तार एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	तकनीकी सहायता।
8. निगरानी एवं अनुश्रवण	• इकाइयों का भौतिक सत्यापन। • दैनिक चारा उत्पादन की निगरानी। • उपयोग एवं अपनाने की दर का आकलन। • चारा लागत में कमी एवं उत्पादकता पर प्रभाव का मूल्यांकन। • इकाइयों की कार्यक्षमता एवं स्थिरता की वार्षिक समीक्षा।

16- <u>उप-मिशन 5: अनुसंधान, वैश्वीकरण एवं ज्ञान प्रणाली विकास उप-मिशन</u>:

पशुधन अनुसंधान फेलोशिप कार्यक्रम को समर्थन देता है तथा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों/ सम्मेलनों में भागीदारी को बढ़ावा देता है (धारा 14)।

गतिविधि 5.1: "पशुधन कुंभ" – अंतर्राष्ट्रीय पशुधन एक्सपो एवं आनुवंशिक (जेनेटिक) व्यापार मंच

घटक	विस्तृत दिशा-निर्देश
1. गतिविधि का नाम	वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पशुधन एक्सपो एवं जेनेटिक व्यापार मेला
2. उद्देश्य	1. उत्तर प्रदेश को भारत के प्रमुख पशुधन व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित करना। 2. उत्कृष्ट जर्मप्लाज्म (Germplasm) के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना। 3. देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय ब्रीडर्स और निवेशकों को आकर्षित करना। 4. पशुधन पर्यटन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के एकीकरण को बढ़ावा देना। 5. एआई, जीनोमिक्स और पशुधन रोबोटिक्स में नवाचार का प्रदर्शन करना।
3. प्रमुख विशेषताएँ	• आगरा/वाराणसी अथवा अन्य स्वीकृत स्थलों पर निर्धारित इवेंट साइकिल के अनुसार एक्सपो का आयोजन। • प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के माध्यम से एक PPP भागीदार/इवेंट इकाई का चयन। • उत्कृष्ट पशुधन नीलामी मंच (Elite Cattle Auction Arena)। • डिजिटल बोली (Bidding) प्लेटफॉर्म। • नस्ल चैंपियनशिप पुरस्कार। • एग्री-टेक एवं पशुधन नवाचार पवेलियन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	• युवा स्टार्टअप एवं निवेशक सहभागिता मंच। • निर्यात प्रोत्साहन हेतु खरीदार-विक्रेता बैठकें। • जेनेटिक कैटलॉग एवं प्रजनन तकनीकों का प्रदर्शन। • अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों एवं उद्योग भागीदारों की सहभागिता। • सांस्कृतिक पशुधन विरासत एवं ग्रामीण पर्यटन एकीकरण।
4. सहायता का पैटर्न	• एक्सपो आयोजन हेतु PPP मॉडल अपनाया जाएगा। • चयनित PPP भागीदार CSR, प्रायोजन (Sponsorship), दान (Donations), प्रदर्शक शुल्क एवं अन्य संसाधनों के माध्यम से आयोजन करेगा। • Viability Gap Funding (VGF) आवश्यकता-आधारित (Need-Based) होगी तथा न्यूनतम वित्तीय उद्धरण/अनुरोध (Minimum Quote) के आधार पर निर्धारित की जाएगी। • अनुदान/वीजीएफ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) प्राप्त होने एवं परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा परीक्षण/अनुमोदन के उपरांत प्रदान किया जाएगा।
5. पात्र इकाइयाँ	राज्य पशुपालन विभाग, पशुधन विकास बोर्ड, PPP इवेंट मैनेजर्स, उद्योग संघ, प्रदर्शनी आयोजन संस्थाएँ।
6. आवश्यक आवश्यकताएँ	• इवेंट DPR (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट)। • स्थल (Venue) की स्वीकृति। • अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी प्रोटोकॉल। • बायो-सिक्योरिटी उपाय। • पशुओं के लिए बीमा कवर। • वित्तीय संसाधन जुटाने की कार्ययोजना।
7. कार्यान्वयन एजेंसियाँ	मिशन निदेशालय, पशुपालन विभाग, चयनित PPP भागीदार।
8. निगरानी एवं अनुवर्ती कार्य	• आगंतुक आँकड़ों की निगरानी। • व्यापार मात्रा (Trade Volume) का आकलन। • हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौते (MoUs)। • निवेश एवं व्यवसायिक साझेदारियों की निगरानी। • वार्षिक प्रभाव आकलन।

गतिविधि 5.2: एप्लाइड लाइव स्टाक रिसर्च एवं इनोवाशन ग्रांट:

घटक	विस्तृत दिशा-निर्देश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. गतिविधि का नाम	पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हेतु अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं नवाचार अनुदान
2. उद्देश्य	1. उत्पादकता, रोग नियंत्रण एवं मूल्य संवर्धन में समस्या-समाधान आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देना। 2. जीनोमिक्स, प्रिसिजन पशुपालन, एआई-आधारित डायग्नोस्टिक्स जैसी उभरती तकनीकों को समर्थन देना। 3. अकादमिक संस्थानों और उद्योग के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना। 4. व्यावसायिक रूप से स्केलेबल (विस्तार योग्य) नवाचार विकसित करना।
3. प्रमुख विशेषताएँ	• अनुसंधान प्रस्तावों के लिए वार्षिक आमंत्रण। • प्राथमिकता विषय: जीनोमिक सुधार, जलवायु अनुकूलन, फीड दक्षता, रोग मॉडलिंग, वैकल्पिक प्रोटीन, अपशिष्ट मूल्य संवर्धन। • उद्योग–अकादमिक सहयोग मॉडल को प्रोत्साहन। • प्रोटोटाइप विकास हेतु वित्तपोषण। • चयनित जिलों में फील्ड पायलट परीक्षण। • पशुधन डेटा स्टैक के साथ डेटा साझा करना। • पेटेंट एवं बौद्धिक संपदा (IP) सहायता। • व्यावसायीकरण हेतु इनक्यूबेशन से जोड़ना। • परिणाम-आधारित फंडिंग चरण (tranches)।
4. सहायता का पैटर्न	• स्वीकृत परियोजना लागत का 100% वित्तपोषण (स्वीकृति अनुसार)। • सीमा (Ceiling) SEC स्वीकृति के अनुसार। • माइलस्टोन-आधारित निधि जारी। • अनुमोदित सीमा से अधिक कोई आवर्ती संस्थागत ओवरहेड नहीं।
5. पात्र इकाइयाँ	वेटरनरी विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान, अनुमोदित स्टार्टअप्स (सहयोगात्मक मॉडल में)।
6. आवश्यक आवश्यकताएँ	• बजट सहित विस्तृत अनुसंधान प्रस्ताव। • संस्थागत नैतिक स्वीकृति (यदि लागू हो)। • डेटा साझा करने का समझौता। • डिलीवेरेबल्स एवं समय-सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित।
7. कार्यान्वयन	पशु पालन निदेशालय, विशेषज्ञ सलाहकार समूह।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एजेंसियाँ	
8. निगरानी एवं अनुवर्ती कार्य	• अर्ध-वार्षिक (Bi-annual) प्रगति रिपोर्ट। • तृतीय-पक्ष तकनीकी मूल्यांकन। • फील्ड वैलिडेशन रिपोर्ट। • अंतिम व्यावसायीकरण मूल्यांकन।

गतिविधि 5.3: राज्य पशुधन अनुसंधान एवं नवाचार संस्थान स्थापना कार्यक्रम

घटक	विस्तृत दिशा-निर्देश
1. गतिविधि का नाम	राज्य पशुधन अनुसंधान एवं नवाचार संस्थान स्थापना कार्यक्रम
2. उद्देश्य	1. उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय पशुधन अनुसंधान एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना। 2. उत्पादकता, आनुवंशिक सुधार, जलवायु अनुकूलन एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु अनुप्रयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना। 3. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ तकनीकी सहयोग स्थापित करना। 4. अनुसंधान, स्टार्टअप्स, उद्योग एवं किसानों के बीच समन्वित नवाचार प्रणाली विकसित करना। 5. राज्य को पशुधन अनुसंधान एवं ज्ञान-आधारित निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना।
3. प्रमुख विशेषताएँ	• राज्य में पशुपालन विभाग की निष्क्रिय/अल्प-उपयोगी संस्थाओं (संस्थाओं), फार्मों एवं प्रशिक्षण केंद्रों का पुनर्विकास। • ILRI, NDRI, CIRG, CARI, ICAR संस्थानों एवं अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से संस्थानों की स्थापना। • पशुधन आनुवंशिकी, फीड एवं चारा, रोग नियंत्रण, प्रिसिजन लाइवस्टॉक फार्मिंग, डिजिटल पशुपालन एवं जैव-सुरक्षा पर अनुसंधान। • सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं इनोवेशन लैब की स्थापना। • स्टार्टअप इनक्यूबेशन एवं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म। • फील्ड डेमोंस्ट्रेशन एवं पायलट प्रोजेक्ट्स। • जलवायु-सहिष्णु एवं संसाधन-कुशल पशुधन मॉडल का विकास।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	• उद्योग–अकादमिक–सरकार साझेदारी मॉडल।

4. सहायता का पैटर्न	• विभागीय भूमि एवं उपलब्ध अवसंरचना संस्थानों हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। • पुनर्विकास, आधुनिकीकरण एवं तकनीकी अवसंरचना हेतु Viability Gap Funding (VGF) प्रदान किया जाएगा। • परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा DPR अनुमोदन के उपरांत वित्तीय सहायता जारी की जाएगी। • परियोजना आवश्यकता अनुसार पूंजीगत सहायता एवं अनुसंधान अनुदान उपलब्ध कराया जा सकेगा।
5. पात्र इकाइयाँ	राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, वेटरनरी विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, ICAR संस्थान, DPIIT-पंजीकृत स्टार्टअप्स, PPP भागीदार, निजी अनुसंधान संस्थाएँ।
6. आवश्यक आवश्यकताएँ	• विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR)। • तकनीकी साझेदारी दस्तावेज़/MoU। • संस्थागत कार्ययोजना एवं अनुसंधान रोडमैप। • वित्तीय स्थिरता योजना। • बायो-सिक्योरिटी एवं नियामकीय अनुपालन।
7. कार्यान्वयन एजेंसियाँ	मिशन निदेशालय, पशुपालन विभाग, राज्य पशुधन विकास बोर्ड, साझेदार अनुसंधान संस्थान।
8. निगरानी एवं अनुवर्ती कार्य	• अनुसंधान परिणाम एवं तकनीकी हस्तांतरण की समीक्षा। • पेटेंट, स्टार्टअप एवं नवाचार परिणामों की निगरानी। • किसान एवं उद्योग स्तर पर तकनीक अपनाने का आकलन। • वार्षिक संस्थागत प्रदर्शन मूल्यांकन। • तृतीय-पक्ष तकनीकी एवं वित्तीय ऑडिट।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गतिविधि 5.4: अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता एवं वैश्विक पशुधन व्यापार प्रोत्साहन:

घटक	विस्तृत दिशा-निर्देश
गतिविधि का नाम	अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो सहभागिता एवं वैश्विक पशुधन व्यापार सुगमीकरण कार्यक्रम
उद्देश्य	1. उत्तर प्रदेश के पशुधन क्षेत्र की वैश्विक दृश्यता बढ़ाना। 2. विदेशी निवेश एवं तकनीकी साझेदारियों को आकर्षित करना। 3. जीन-व्यापार (Genetic Trade) एवं मूल्य-वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। 4. उद्यमियों को वैश्विक मानकों से परिचित कराना।
प्रमुख विशेषताएँ	• वैश्विक पशुधन एक्सपो में राज्य के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी। • "उत्तर प्रदेश पशुधन" ब्रांडेड पवेलियन की स्थापना। • FPOs एवं निर्यातकों की भागीदारी हेतु सहायता। • खरीदार–विक्रेता बैठकें (Buyer–Seller Meets)। • MoU सुविधा सेल (Facilitation Cell)। • निर्यात परामर्श डेस्क। • डेयरी, मांस, सजावटी मछली एवं जीन-क्षेत्रों का प्रचार। • प्रतिभागी उद्यमियों के लिए पूर्व-प्रस्थान प्रशिक्षण। • एक्सपो के बाद व्यवसाय अनुवर्ती (Follow-up) सेल। • वार्षिक वैश्विक व्यापार रणनीति दस्तावेज़ तैयार करना।
सहायता का पैटर्न	• आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल हेतु 100% वित्तपोषण। • FPO/निर्यातक भागीदारी हेतु 50% सहायता (सीमा के अधीन)। • प्रतिपूर्ति (Reimbursement) आधारित सहायता मॉडल।
पात्र इकाइयाँ	FPOs, निर्यातक, डेयरी एवं मांस प्रसंस्करण इकाइयाँ, मत्स्य उद्यमी।
आवश्यक आवश्यकताएँ	• निर्यात पंजीकरण (जहाँ लागू हो)। • मिशन निदेशालय द्वारा भागीदारी स्वीकृति। • कार्यक्रम के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करना। • वित्तीय योगदान का प्रमाण (लाभार्थी अंश)।
कार्यान्वयन एजेंसियाँ	मिशन निदेशालय, निर्यात संवर्धन प्राधिकरण।
निगरानी एवं अनुवर्ती	• MoU रूपांतरण (Conversion) की निगरानी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्य	• निर्यात वृद्धि का विश्लेषण। • निवेश प्रवाह की निगरानी। • वार्षिक व्यापार प्रदर्शन समीक्षा।

- प्रोजेक्ट कास्ट तत्समय प्रचलित लोक निर्माण विभाग की दरों के अनुसार लागू की जायेगी।
- यदि तत्समय प्रोजेक्ट कास्ट से लागत बढ़ती है तो उसका भुगतान स्वयं संस्था द्वारा किया जायेगा।**(इन्डीकेटिव कास्ट की सूची संलग्न है।)**

17-(1) मिशन की विस्तृत DPR बनाने में, डेटा स्वामित्व (Data Governance) साइबर सुरक्षा, रख-रखाव व्यय (O& M Cost), क्रियान्वन एजेंसी एवं समयबद्ध कार्ययोजना आदि बिन्दुओं को समाहित किया जायेगा।

(2) परियोजना माइलस्टोनः

1. माइलस्टोन-1: लाभार्थी द्वारा अपनी पूंजी (मार्जिन मनी) तथा बैंक ऋण, यदि कोई है तो उसके साथ कुल का 50% व्यय। डी.एल.आई.सी./डी.एन.ओ. को परियोजना के बिल एवं जिओ टैग्ड लोकेशन सहित फोटोग्राफ प्रस्तुत करने के बाद आवेदक को सब्सिडी की पहली किश्त (50%) जारी की जाएगी।
2. माइलस्टोन-2: लाभार्थी द्वारा अपनी पूंजी (मार्जिन मनी) तथा बैंक ऋण, यदि कोई है तो उसके साथ कुल का 100% व्यय। डी.एल.आई.सी./डी.एन.ओ. को परियोजना के बिल एवं जिओ टैग्ड लोकेशन, परियोजना पूर्णता/कमीशनिंग रिपोर्ट सहित फोटोग्राफ प्रस्तुत करने के बाद आवेदक को सब्सिडी की द्वितीय किश्त (50%) जारी की जाएगी।

(3) मिशन में कई गतिविधियाँ (जैसे जीनोमिक फार्म, PPP मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ, आधुनिक मंडियाँ आदि) PPP मॉडल पर प्रस्तावित हैं, जिनको विस्तृत डी0पी0आर0 में व्याख्यायित किया जायेगा।

(4) मिशन अंतर्गत नवाचारों जैसे हरित डेयरी-गोबर से बायोगैस बनाने के अंतर्गत पंचायती राज विभाग के साथ अभिसरण स्थापित किया जाना संसाधनों के सर्वोत्तम एवं अनुकूलतम उपयोग के आशय से इंगित किया गया है, जिससे प्रोजेक्ट को अधिक प्रभावी एवं कम लागत वाला बनाया जा सके। क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी का प्रथम स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लेमेंटेशन कमिटी (डी.एल.ई.सी.) है जिसके द्वारा प्रोजेक्ट की नियमित निगरानी की जाएगी। स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, जिसमें नोडल अधिकारी, एस.एल.एम्. के साथ ही विभिन्न डोमेन विशेषज्ञ भी सम्मिलित होंगे, के द्वारा अभिसरण की स्थिति में दोहराव की रोकथाम, स्पष्ट कार्य विभाजन व समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) डोमेन विशेषज्ञ, विशेषज्ञ सलाहकार समूह/प्रोजेक्ट अप्रेजल एण्ड फाइनेंस डिटर्मिनेशन कमेटी (पी.ए.एफ.डी.सी.) के भी सदस्य होंगे। इनकी चयन प्रक्रिया स्थापित नियमो का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुपालन करते हुए पारदर्शी तरीके से की जाएगी, सेवा शर्तों, प्रदर्शन मूल्यांकन आदि को मिशन की विस्तृत DPR में सम्मिलित किया जायेगा।

2. योजना के सम्बन्ध में एस0ओ0पी0 एवं योजना की विस्तृत गाइडलाइन्स पृथक से निर्गत की जायेगी।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-234(1)/2026/2707/सैंतीस-2-2026तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(2) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- /2026/2707/सैंतीस-2-2026तद्दिनांक का संलग्नक

Indicative Cost: Establishment of Dairy Unit (5 Milch Cows and 10 Milch Cows)

Rs in Lakh

Sl No	Particulars		5 Milch Cow Unit	10 Milch Cow Unit
	Capital Expenditure			
1	**Cost of Animals including transport- Cross Breed Cows like Jersey / Improved Indigenous Breed Cows like Sahiwal, Red Sindhi &Tharparkar**	1 Lakh per cattle	5.0000	10.0000
2	**Cattle Shed for Cows (Requirement of 60 sq. ft. per Cow) – Pucca shed as per MNREGA specification**	Rs. 300 Per sq. ft.	0.9000	1.8000
3	**Cattle Shed for Calves (Requirement of 20 sq. ft. per Calf) – Pucca shed as per MNREGA specification**	Rs. 300 Per sq. ft.	0.3000	0.6000
4	**Dairy Equipments @12000 per 5 animals**	12000	0.1200	0.2400
5	**Water Supply, Electrification etc**		0.1000	0.2000
	Total Capital Expenditure		**6.420**	**12.840**
	Recurring Expenditure			
1	**OneYear Inusurance- @4.5% of cost**		0.2250	0.4500
2	**Medicine & Vet Expense (Rs 1000 per animal per year)**	Rs 1000 per animal per year	0.0500	0.1000
3	**Feed Cost in One Year (@ Rs 6000 per animal per month)**	Rs 6000 per animal per month	3.6000	7.2000
4	**Labour Cost (@Rs. 12,000/person/ month) – residential labour 1 person per 2 anuimal**		1.4400	2.8800
	Total Recurring Expenditure		**5.315**	**10.630**
	Project Cost		**11.735**	**23.470**

- The above-mentioned livestock and construction of shed is mandatory and release of subsidy is purely subject to completion of project i.e. presence of livestock and construction of shed.
- Above mentioned cost of livestock and shed construction are indicative in nature and may be increased depending on location and topography of land and investment by applicant.
- Final Calculations of amount of subsidy will be based on availability of bills. One 50% capital subsidy of the total project cost will be provided as per the norms of SLM and maximum upto 3.45 Lakhs for 5 Cow Unit and 6.90 Lakhs for 10 Cow units.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Indicative Cost- Establishment of Dairy Unit (5 Buffalos and 10 Buffalos)

Rs in Lakh

Sl No	Particulars		5 Milch Buffalo Unit	10 Milch Buffalo Unit
	Capital Expenditure			
1	**Cost of Animals including transport - Murra/ Graded Murrah Buffalos**	**1.5 Lakh per Buffalo**	**5.0000**	**10.0000**
2	**Cattle Shed for Buffalo (Requirement of 60 sq. ft.per animal)– Pucca shed as per MNREGA specification**	**Rs. 300 Per sq. ft.**	**0.9000**	**1.8000**
3	**Cattle Shed for Buffalo Calves (Requirement of 20 sq. ft. per calf) – Pucca shed as per MNREGA specification**	**Rs. 300 Per sq. ft.**	**0.3000**	**0.6000**
4	**Dairy Equipments @12000 per 5 animals**	**12000**	**0.1200**	**0.2400**
5	**Water Supply, Electrification etc**		**0.1000**	**0.2000**
	Total Capital Expenditure		**6.4200**	**12.8400**
	Recurring Expenditure			
1	**OneYear Inusurance- @4.5% of cost**	**4.5percent**	**0.2250**	**0.4500**
2	**Medicine & Vet Expense (Rs 1000 per animal per year)**	**Rs 1000 per animal per year**	**0.0500**	**0.1000**
3	**Feed Cost in One Year (@ Rs 6000 per animal per month)**	**Rs 6000 per animal per month**	**3.6000**	**7.2000**
4	**Labour Cost in one year (@Rs. 12,000/person/ month) – residential labour 1 person per 5 anuimal**		**1.4400**	**2.8800**
	Total Recurring Expenditure		**5.3150**	**10.6300**
	Project Cost		**11.7350**	**23.4700**

- The above mentioned livestock and construction of shed is mandatory and release of subsidy is purely subject to completion of project i.e. presence of livestock and construction of shed.
- Above mentioned cost of livestock and shed construction are indicative in nature and may be increased depending on location and topography of land and investment by applicant.
- Final Calculations of amount of subsidy will be based on availability of bills. One 50% capital subsidy of the total project cost will be provided as per the norms of SLM and maximum upto 4.70 Lakhs for 5 Buffalo Unit and 9.40 Lakhs for 10 Buffalo units.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Indicative Cost- Small Ruminant Entrepreneurship Development - 50F+3M Goat/Sheep

Indicative expenditure under project:

i.	cost of 50 female goats	@Rs.10000per goat	-	5,00,000
ii.	Cost of 03 male Bucks	@Rs.15000per goat	-	45,000
iii.	Cost of insurance	@Rs.7.5	-	43,500
iv.	Cost of shed construction	1000sqft.@Rs.250	-	2,50,000
v.	Misc. (fodder cutting machines, Grinder etc.)		-	161,500
		Total		**10,00,000**

- The above mentioned livestock and construction of shed is mandatory and release of subsidy is purely subject to completion of presence of livestock and construction of shed.
- Above mentioned cost of livestock and shed construction are indicative in nature and may be increased depending on location and topography of land and investment by applicant.
- Required land area is 2000 sqft. out of which 1000sqft. area will be covered by iron / pacca with use of iron angle and asbestos sheets.
- arrangement of fresh water and electricity by use of Misc. expenses.
- Final Calculations of amount of subsidy will be based on availability of bills. Subsidy amount is maximum up to Rs. 5,00,000

Indicative Cost- Small Ruminant Entrepreneurship Development -100F+5M Goat/Sheep

Indicative expenditure under project:

i.	cost of 100 female goats	@Rs.10000per goat	-	10,00,000
ii.	Cost of 05 male Bucks	@Rs.15000per goat	-	75,000
iii.	Cost of insurance	@Rs.7.5	-	80,500
iv.	Cost of shed construction	2000sqft.@Rs.250	-	5,00,000
v.	Misc. (fodder cutting machines, Grinder etc.)		-	344,500
		Total		**20,00,000**

- The above mentioned livestock and construction of shed is mandatory and release of subsidy is purely subject to completion of presence of livestock and construction of shed.
- Above mentioned cost of livestock and shed construction are indicative in nature and may be increased depending on location and topography of land and investment by applicant.
- Required land area is 4000 sqft. out of which 2000sqft. area will be covered by iron / pacca with use of iron angle and asbestos sheets.
- Arrangement of fresh water and electricity by use of Misc. expenses.
- Final Calculations of amount of subsidy will be based on availability of bills. Subsidy amount is maximum upto Rs. 10,00,000

Indicative Cost- Piggery Entrepreneurship Development- 50F+3M

Indicative expenditure under project:

i.	Cost of 50 female sows	@Rs.10000per sows	-	5,00,000
ii.	Cost of 05 Boars	@Rs.20000per Boars	-	1,00,000
iii.	Cost of insurance	@Rs.7.5	-	45,000
iv.	Cost of shed construction	3500sqft.@Rs.250	-	8,75,000
v.	Cost of Flooring	3500sqft@2Rs.200-		7,00,000
v.	Misc. (Grinder and other machines, etc.)		-	2,80,000
		Total	-	**25,00,000**

- The above mentioned livestock and construction of shed is mandatory and release of subsidy is purely subject to completion of construction of shed and purchase of livestock.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- Above mentioned cost of livestock and shed construction are indicative in nature and may be increased depending on location and topography of land and investment by applicant.
- Required land area is 7000 sqft. out of which 3500sqft. area will be covered by iron / pacca with use of G.I.pipes/M.S. rods and asbestos sheets.
- arrangement of fresh water and electricity by use of Misc. expenses.
- Final Calculations of amount of subsidy will be based on availability of bills. Subsidy amount is maximum uptoRs. 12,50,000

Indicative Cost- Piggery Entrepreneurship Development - 100F+5M

Indicative expenditure under project:

i.	cost of 100 female sows	@Rs.10000per sows	-	10,00,000
ii.	Cost of 10Boars	@Rs.20000per Boars	-	200,000
iii.	Cost of insurance	@Rs.7.5	-	90,000
iv.	Cost of shed construction	7000sqft.@Rs.250	-	17,50,000
v.	Cost of Flooring	7000sqft@2Rs.200	-	14,00,000
v.	Misc. (Grinder and other machines, etc.)		-	5,60,000
		Total	-	**50,00,000**

- The above mentioned livestock and construction of shed is mandatory and release of subsidy is purely subject to completion of construction of shed and purchase of livestock.
- Above mentioned cost of livestock and shed construction are indicative in nature and may be increased depending on location and topography of land and investment by applicant.
- Required land area is 14000 sqft. out of which 7000sqft. area will be covered by iron / pacca with use of G.I.pipes/M.S. rods and asbestos sheets.
- Arrangement of fresh water and electricity by use of Misc. expenses.
- Final Calculations of amount of subsidy will be based on availability of bills. Subsidy amount is maximum upto Rs. 25,00,000

PROJECT COST- 5000 Broiler Unit

A	**Capital Investment**					
	Particulars	**Specification**		**Unit**	**Unit Cost**	**Total Cost (Rs.)**
1	**LAND**	0.5	Acre	-	Available	0.00
a	**Land Development**	0.5	Acre		20000.00	10000.00
b	**Fencing**	0.5	Acre		35000.00	17500.00
					Sub Total	27500.00
2	**CIVIL CONSTRUCTION**					
a	**Broiler Shed**	0.10	Sqft	5000	250.00	1375000.00
b	**Office cum Store room**		Sqft	250	300.00	75000.00
					Sub Total	1450000.00
3	**WATER SUPPLY SYSTEM**					
a	**Borewell/Tubewell**		LS	1	100000.00	100000.00
b	**Pump and Pipline**		LS	1	25000.00	25000.00
c	**Sump/Overhead Tank**		2000 ltrs	1	12500.00	12500.00
d	**Foggers @ 33/- per 2000 birds**	33	2000	83	45.00	3735.00
e	**Sprinklers @ 7/- per 2000 birds**	7	2000	18	80.00	1400.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

					Sub Total	142675.00
4	**ELECTRIFICATION**					
a	**Installation and Fitting**	3%	Of Civil Cost			43500.00
b	**DG Set**		10 KVA	1	180000.00	180000.00
					Sub Total	223500.00
5	**PLANT AND MACHINERY**					
A	**Equipment**			5000	30.00	150000.00
					Sub Total	150000.00
	Total Capital Cost					1993675.00
B	**Recurring Expenditure./BATCH**					
A	**Chick Cost**			5108	35.00	178780.00
B	**Feed Cost**			15500	35.00	542500.00
C	**Medicine, Vaccine Cost**			5000	5.00	25000.00
D	**Litter Cost**			5000	0.50	2500.00
E	**Labour Cost**			5000	2.00	10000.00
F	**Power and Fuel Charges**			5000	1.50	7500.00
	Total recurring Expenditure					766280.00
	Total Project Cost					2759955.00
	Margin Money	25%				689989.00
	Bank Loan	75%				2069966.00

Total Capital Cost **Rs. 1993675.00**

Chick Cost **Rs. 178780.00**

Total Cost Considered for Subsidy **Rs. 2175455.00**

50% Subsidy of above total cost Per Unit **Rs. 1086228.00**

Indicative Project Cost (1,000 Desi Poultry Unit)
A. Capital Investment

Particulars	**Specification**	**Unit**	**Unit Cost (₹)**	**Total Cost (₹)**
1. LAND				
Land	0.50 Acre	-	Available	0.00
Land Development	0.50 Acre	Acre	20,000	10,000
Fencing	0.50 Acre	Acre	35,000	17,500
Sub Total				
2. CIVIL CONSTRUCTION				
Desi Poultry Shed	2,000 Sq.ft	Sq.ft	250	500,000
Brooder House	400 Sq.ft	Sq.ft	300	120,000
Office cum Store Room	250 Sq.ft	Sq.ft	300	75,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Feed Store	150 Sq.ft	Sq.ft	300	45,000
Isolation Room	100 Sq.ft	Sq.ft	300	30,000
Sub Total				
3. WATER SUPPLY SYSTEM				
Borewell/Tubewell	LS	1	100,000	100,000
Pump & Pipeline	LS	1	25,000	25,000
Overhead Tank	2,000 L	1	12,500	12,500
Foggers	LS	1	3,735	3,735
Sprinklers	LS	1	1,400	1,400
Sub Total				
4. ELECTRIFICATION				
Installation & Fittings	3% of Civil Cost			23,100
DG Set	10 KVA	1	180,000	180,000
Sub Total				
5. PLANT & MACHINERY				
Feeders, Drinkers, Brooders, Chick Guards, Weighing Machine, Crates & Misc. Equipment	LS	1	175,000	175,000
Sub Total				**₹13,18,235**

B. Recurring Expenditure

Particular	**Quantity**	**Rate (₹)**	**Total Cost (₹)**
Desi Chicks	1,050	70	73,500
Feed Cost	10,500 kg	35	367,500
Medicines & Vaccines	LS	-	15,000
Litter Material	LS	-	8,000
Labour	LS	-	60,000
Electricity & Fuel	LS	-	18,000
Miscellaneous	LS	-	20,000
Total Recurring Expenditure			₹5,62,000

Cost Considered for Subsidy

Particular	**Amount (₹)**
Total Capital Cost	₹1,318,235
Chick Cost	₹73,500
Total Cost Considered for Subsidy	**₹1,391,735**
50% Subsidy	₹695,868

Budget Requirement for Small animal Entrepreneurship Development -

1. 50+3 Goats 75* 5= 375 projects @ 5 projects per district
   Rs 5.00Lakh*375= Rs.1875 Lakhs
2. 100+05 Goats 2per district= 150 projects
   Rs. 10.00 Lakhs*150= Rs.1500 Lakhs
3. 50F+05M piggery per district 2 projects in 37 districts= 74 projects
   Rs. 12.5 Lakhs*74= Rs 925 Lakhs
3. 100F+10M piggery per district 2 projects in 37 districts=74 projects

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Rs. 25.00 Lakhs*74= Rs 1850Lakhs

Total Budget requirement in small animal projects=Rs 6150 Lakhs i.e. Rs. 61.50 Cr

Indicative Project Cost: Quail Unit (2000)

A. CAPITAL INVESTMENT						
1. LAND DEVELOPMENT & FENCING						
	Particulars	**Specification**		**Unit**	**Unit Cost**	**Total Cost**
1a	Land Development	0.10 Acre	Acre	0.10	₹20,000	₹2,000
1b	Fencing (Chain-link/Barbed wire)	0.10 Acre perimeter	Acre	0.10	₹35,000	₹3,500
Sub-Total 1						**₹5,500**
2. Scientific Shed – Multi-tier Battery Cage House						
2a	Multi-tier Battery Cage Shed (RCC, wire mesh sides, concrete floor)	500 Sq ft @ ₹300/sq ft	Sq ft	500.00	₹300	₹1,50,000
2b	Office cum Store Room	100 Sq ft @ ₹300/sq ft	Sq ft	100.00	₹300	₹30,000
Sub-Total 2						**₹1,80,000**
3. Climate Control – Fans, Foggers, Curtains						
3a	Exhaust Fans	2 Nos @ ₹4,500 each	Nos	2.00	₹4,500	₹9,000
3b	Foggers	8 Nos @ ₹45 each	Nos	8.00	₹45	₹360
3c	Sprinklers	3 Nos @ ₹80 each	Nos	3.00	₹80	₹240
3d	PVC Curtains / Shade Net	For wind/rain protection	LS	1.00	₹5,000	₹5,000
Sub-Total 3						**₹14,600**
4. Water Supply System						
4a	Borewell / Tubewell	1 LS	LS	1.00	₹1,00,000	₹1,00,000
4b	Pump & Pipeline	1 LS (0.5 HP submersible)	LS	1.00	₹15,000	₹15,000
4c	Overhead Tank (1000 ltrs)	1 No	No	1.00	₹8,000	₹8,000
4d	Internal water lines & nipple drinker connections	LS	LS	1.00	₹5,000	₹5,000
Sub-Total 4						**₹1,28,000**
5. Electrification						
5a	Installation, Wiring & Fitting	3% of Civil Cost (₹1,80,000)	LS	1.00	₹5,400	₹5,400
5b	DG Set (5 KVA)	1 No	No	1.00	₹1,00,000	₹1,00,000
Sub-Total 5						**₹1,05,400**
6. Plant & Machinery (Cages, Feeders, Automation)						
6a	Multi-tier Battery	2000 birds @	Per bird	2,000.00	₹50	₹1,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	Cages (Galvanised wire, 3-tier)	₹50/bird				
6b	Feeders (trough type, chick + grower)	2000 birds @ ₹15/bird	Per bird	2,000.00	₹15	₹30,000
6c	Auto Nipple Drinker System (in-line)	2000 birds @ ₹5/bird	Per bird	2,000.00	₹5	₹10,000
6d	LPG / Electric Brooders	2 Nos @ ₹5,000 each	Nos	2.00	₹5,000	₹10,000
6e	Vaccinator & Accessories	1 set	LS	1.00	₹3,000	₹3,000
Sub-Total 6						**₹1,53,000**
7. Waste Management System						
7a	Manure Collection Trays (below cages)	Built into cage cost	LS	1.00	₹0	₹0
7b	Compost Pit Construction	1 unit (2m × 2m × 1.5m)	No	1.00	₹10,000	₹10,000
7c	Wheelbarrow, Scraper & Cleaning Equipment	1 set	LS	1.00	₹3,000	₹3,000
Sub-Total 7						**₹13,000**
TOTAL CAPITAL COST (A)						**₹5,99,500**
B. RECURRING EXPENDITURE / BATCH						
A	Day-old Chick Cost	2000 chicks @ ₹12/bird (5% mortality buffer = 2100)	Per bird	2,100.00	₹12	₹25,200
B	Feed Cost (Quail starter + finisher)	2100 kg @ ₹22/kg (1.0 kg/bird)	Kg	2,100.00	₹22	₹46,200
C	Medicine, Vaccine & Biosecurity	2000 birds @ ₹5/bird	Per bird	2,000.00	₹5	₹10,000
D	Litter Cost (minimal – cage system)	1 set change per batch	LS	1.00	₹500	₹500
E	Labour Cost (1 person)	1.5 months @ ₹8,000/month	Month	1.50	₹8,000	₹12,000
F	Power & Fuel Charges	2000 birds @ ₹1/bird	Per bird	2,000.00	₹1	₹2,000
TOTAL RECURRING EXPENDITURE / BATCH (B)						**₹95,900**
GRAND TOTAL PROJECT COST (A + B)						**₹6,95,400**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Particulars	Amount (₹)
Total Capital Cost	5,99,500
Quail Chick Cost	25,200
Total Cost Considered for Subsidy	6,24,700
50% Subsidy of Above Total Cost per Unit	**3,12,350**

Indicative Project Cost: Guinea Fowl Unit (2000)

A. CAPITAL INVESTMENT						
1. LAND DEVELOPMENT & FENCING						
	Particulars	**Specification**		**Unit**	**Unit Cost**	**Total Cost**
1a	Land Development	0.25 Acre	Acre	0.25	₹20,000	₹5,000
1b	Perimeter Fencing (shed + outdoor paddock)	0.25 Acre @ ₹35,000/acre	Acre	0.25	₹35,000	₹8,750
Sub-Total 1						**₹13,750**
2. Scientific Shed – Semi-Intensive Deep Litter Housing						
2a	Guinea Fowl Shed (brick/RCC, wire-mesh sides, concrete floor, roosting perches built-in)	3,000 Sq ft @ ₹280/sq ft	Sq ft	3,000.00	₹280	₹8,40,000
2b	Office cum Store Room	150 Sq ft @ ₹300/sq ft	Sq ft	150.00	₹300	₹45,000
Sub-Total 2						**₹8,85,000**

3. Climate Control – Fans, Foggers, Curtains						
3a	Exhaust Fans	4 Nos @ ₹4,500 each	Nos	4.00	₹4,500	₹18,000
3b	Foggers (cooling)	14 Nos @ ₹45 each (1 per ~143 birds)	Nos	14.00	₹45	₹630
3c	Sprinklers (roof cooling)	7 Nos @ ₹80 each	Nos	7.00	₹80	₹560
3d	PVC Curtains / Shade Net	LS – wind, rain, predator protection	LS	1.00	₹8,000	₹8,000
Sub-Total 3						**₹27,190**
4. Water Supply System						
4a	Borewell / Tubewell	1 LS	LS	1.00	₹1,00,000	₹1,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4b	Pump & Pipeline (1 HP)	1 LS	LS	1.00	₹25,000	₹25,000
4c	Overhead Tank (2000 ltrs)	1 No	No	1.00	₹12,500	₹12,500
4d	Internal water lines & bell drinker connections	LS	LS	1.00	₹8,000	₹8,000
Sub-Total 4						**₹1,45,500**
5. Electrification						
5a	Installation, Wiring & Fitting	3% of Civil Cost (₹8,85,000)	LS	1.00	₹26,550	₹26,550
5b	DG Set (10 KVA)	1 No	No	1.00	₹1,80,000	₹1,80,000
Sub-Total 5						**₹2,06,550**
6. Plant & Machinery (Feeders, Drinkers, Brooders)						
6a	Feeders (pan/trough type)	2000 birds @ ₹30/bird	Per bird	2,000.00	₹30	₹60,000
6b	Drinkers (bell drinkers)	2000 birds @ ₹20/bird	Per bird	2,000.00	₹20	₹40,000
6c	LPG Brooders	3 Nos @ ₹5,000 (1 brooder per 200 keets)	Nos	3.00	₹5,000	₹15,000
6d	Roosting Perches (bamboo/wood)	2000 birds @ ₹5/bird	Per bird	2,000.00	₹5	₹10,000
6e	Vaccinator & Accessories	1 set	LS	1.00	₹3,000	₹3,000
Sub-Total 6						**₹1,28,000**
7. Waste Management System						
7a	Compost Pits (2 nos, alternating use)	2 units @ ₹15,000 each	Nos	2.00	₹15,000	₹30,000
7b	Drainage channels inside shed (concrete-lined)	LS	LS	1.00	₹10,000	₹10,000
7c	Manure handling equipment (wheelbarrow, shovel, fork)	1 set	LS	1.00	₹5,000	₹5,000
Sub-Total 7						**₹45,000**
TOTAL CAPITAL COST (A)						**₹14,50,990**
B. RECURRING EXPENDITURE / BATCH						
A	Day-old Keet (Chick) Cost	2,160 keets (8% mortality buffer) @ ₹65/keet	Per bird	2,160.00	₹65	₹1,40,400
B	Feed Cost (Chick starter + grower)	12,000 kg @ ₹30/kg (6	Kg	12,000.00	₹30	₹3,60,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		kg/bird × 2000)				
C	Medicine, Vaccine & Biosecurity	2000 birds @ ₹8/bird	Per bird	2,000.00	₹8	₹16,000
D	Litter Cost (paddy husk/wood shavings)	2000 birds @ ₹0.75/bird	Per bird	2,000.00	₹1	₹1,500
E	Labour Cost (1 person)	4 months (16 wks) @ ₹12,000/month	Month	4.00	₹12,000	₹48,000
F	Power & Fuel Charges	2000 birds @ ₹4/bird	Per bird	2,000.00	₹4	₹8,000
TOTAL RECURRING EXPENDITURE / BATCH (B)						**₹5,73,900**
GRAND TOTAL PROJECT COST (A + B)						**₹20,24,890**

Particulars	**Amount (₹)**
Total Capital Cost	**14,50,990**
Keet (Chick) Cost	**1,40,400**
Total Cost Considered for Subsidy	**15,91,390**
50% Subsidy of Above Total Cost per Unit	**7,95,695**

Indicative Project Cost: Duck Unit (1000)

A. CAPITAL INVESTMENT						
1. LAND DEVELOPMENT & FENCING						
1a	Land Development	0.20 Acre	Acre	0.20	₹20,000	₹4,000
1b	Fencing (perimeter – shed + pond + run area)	0.20 Acre @ ₹35,000/acre	Acre	0.20	₹35,000	₹7,000
Sub-Total 1						₹11,000
2. Scientific Shed – Duck Night Shelter with Drainage						
2a	Duck Shed (concrete floor sloped 1:30 for drainage, wide openings, drainage channels inside)	2,000 Sq ft @ ₹270/sq ft	Sq ft	2,000.00	₹270	₹5,40,000
2b	Office cum Store Room	100 Sq ft @ ₹300/sq ft	Sq ft	100.00	₹300	₹30,000
Sub-Total 2						₹5,70,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. Duck Pond Construction						
3a	Pond Excavation (30m × 10m × 1.2m depth = 360 cum)	360 cum @ ₹150/cum	cum	360.00	₹150	₹54,000
3b	HDPE Lining / Brick + Cement Plastering	300 sqm @ ₹200/sqm	Sq m	300.00	₹200	₹60,000
3c	Inlet / Outlet Pipes, Valves & Fittings	1 LS	LS	1.00	₹15,000	₹15,000
3d	Pond Perimeter Safety Fencing	1 LS	LS	1.00	₹20,000	₹20,000
3e	Pond Water Pump (for filling/draining)	1 No @ ₹5,000	No	1.00	₹5,000	₹5,000
Sub-Total 3						₹1,54,000
4. Climate Control – Fans, Curtains						
4a	Exhaust Fans	2 Nos @ ₹4,500 each	Nos	2.00	₹4,500	₹9,000
4b	PVC Curtains / Shade Net	1 LS (wind/rain protection in shed)	LS	1.00	₹4,000	₹4,000
4c	Foggers (shed cooling)	4 Nos @ ₹45 each	Nos	4.00	₹45	₹180
Sub-Total 4						₹13,180
5. Water Supply System						
5a	Borewell / Tubewell	1 LS	LS	1.00	₹1,00,000	₹1,00,000
5b	Pump & Pipeline (1 HP + pond supply line)	1 LS	LS	1.00	₹25,000	₹25,000
5c	Overhead Tank (2000 ltrs)	1 No	No	1.00	₹12,500	₹12,500
5d	Pond supply pipeline & water management	1 LS	LS	1.00	₹15,000	₹15,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Sub-Total 5						₹1,52,500
6. Electrification						
6a	Installation, Wiring & Fitting	3% of Civil Cost (₹5,70,000)	LS	1.00	₹17,100	₹17,100
6b	DG Set (7.5 KVA)	1 No	No	1.00	₹1,40,000	₹1,40,000
Sub-Total 6						₹1,57,100
7. Plant & Machinery (Feeders, Drinkers, Brooders)						
7a	Feeders (trough/pan type, duck-specific)	1000 birds @ ₹30/bird	Per bird	1,000.00	₹30	₹30,000
7b	Drinkers / Waterers (deep duck drinkers)	1000 birds @ ₹20/bird	Per bird	1,000.00	₹20	₹20,000
7c	Electric Brooders (for ducklings)	2 Nos @ ₹5,000 each	Nos	2.00	₹5,000	₹10,000
7d	Vaccinator & Accessories	1 set	LS	1.00	₹3,000	₹3,000
Sub-Total 7						₹63,000
8. Waste Management System						
8a	Drainage channels inside shed (concrete, sloped)	1 LS	LS	1.00	₹15,000	₹15,000
8b	Compost Pit (1 no)	1 unit @ ₹20,000	No	1.00	₹20,000	₹20,000
8c	Pond Sludge / Effluent Management (sump + percolation pit)	1 LS	LS	1.00	₹10,000	₹10,000
8d	Cleaning equipment (brush, wheelbarrow, pressure pump)	1 set	LS	1.00	₹5,000	₹5,000
Sub-Total 8						₹50,000
TOTAL CAPITAL COST (A)						₹11,70,780

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

B. RECURRING EXPENDITURE / BATCH						
A	Duckling Cost	1,050 ducklings (5% mortality buffer) @ ₹50/bird	Per bird	1,050.00	₹50	₹52,500
B	Feed Cost (Duckling starter + grower + finisher)	9,000 kg @ ₹32/kg (9 kg/bird)	Kg	9,000.00	₹32	₹2,88,000
C	Medicine, Vaccine & Biosecurity	1000 birds @ ₹8/bird	Per bird	1,000.00	₹8	₹8,000
D	Litter Cost (straw/paddy husk)	1000 birds @ ₹0.50/bird	Per bird	1,000.00	₹1	₹500
E	Labour Cost (1 person)	2 months @ ₹10,000/month	Month	2.00	₹10,000	₹20,000
F	Power & Fuel Charges	1000 birds @ ₹4/bird	Per bird	1,000.00	₹4	₹4,000
TOTAL RECURRING EXPENDITURE / BATCH (B)						₹3,73,000
GRAND TOTAL PROJECT COST (A + B)						₹15,43,780

Particulars	**Amount (₹)**
Total Capital Cost	11,70,780
Duckling Cost	52,500
Total Cost Considered for Subsidy	12,23,280
50% Subsidy of Above Total Cost per Unit	6,11,640

Indicative Project Cost: Turkey Unit (2000)

A. CAPITAL INVESTMENT						
1. LAND DEVELOPMENT & FENCING						
1a	Land Development	0.50 Acre	Acre	0.50	₹20,000	₹10,000
1b	Fencing (heavy-gauge chain link – essential for turkeys)	0.50 Acre @ ₹35,000/acre	Acre	0.50	₹35,000	₹17,500

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Sub-Total 1						₹27,500
2. Controlled Housing						
2a	Turkey Grower/Finisher Shed (नियंत्रित आवास – RCC/pre-fab, insulated, concrete floor, litter system, 8,000 sq ft)	8,000 Sq ft @ ₹320/sq ft	Sq ft	8,000.00	₹320	₹25,60,000
2b	Brooder House (separate, enclosed, temperature controlled)	2,000 Sq ft @ ₹300/sq ft	Sq ft	2,000.00	₹300	₹6,00,000
2c	Office cum Store Room	200 Sq ft @ ₹300/sq ft	Sq ft	200.00	₹300	₹60,000
Sub-Total 2						₹32,20,000
3. Climate Control						
3a	Electric Brooders for Poults (thermostat-controlled)	10 Nos @ ₹8,000 each (1 per 200 poults)	Nos	10.00	₹8,000	₹80,000
3b	Exhaust Fans (large dia, high CFM)	8 Nos @ ₹4,500 each	Nos	8.00	₹4,500	₹36,000
3c	Evaporative Cooling Pads (pad + frame + sump)	2 sets @ ₹25,000 each	Sets	2.00	₹25,000	₹50,000
3d	Foggers (inside shed)	15 Nos @ ₹45 each	Nos	15.00	₹45	₹675
3e	Sprinklers (roof cooling)	8 Nos @ ₹80 each	Nos	8.00	₹80	₹640
3f	Digital Thermostats / Environment Controllers	2 Nos @ ₹5,000 each	Nos	2.00	₹5,000	₹10,000
3g	Insulation (PUF panels or shade net layer – brooder house)	1 LS	LS	1.00	₹20,000	₹20,000
Sub-Total 3						₹1,97,315
4. (Water Supply System)						
4a	Borewell / Tubewell	1 LS	LS	1.00	₹1,00,000	₹1,00,000
4b	Pump & Pipeline (2 HP – larger due	1 LS	LS	1.00	₹25,000	₹25,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	to cooling pads)					
4c	Overhead Tank (2000 ltrs)	1 No	No	1.00	₹12,500	₹12,500
4d	Auto Nipple Drinker System (turkey-spec, larger nipples)	2000 birds @ ₹15/bird	Per bird	2,000.00	₹15	₹30,000
4e	Cooling pad water supply loop (sump + pump + piping)	1 LS	LS	1.00	₹10,000	₹10,000
Sub-Total 4						₹1,77,500
5. (Electrification)						
5a	Installation, Wiring & Fitting	3% of Civil Cost (₹32,20,000)	LS	1.00	₹96,600	₹96,600
5b	DG Set (15 KVA – essential for climate control continuity)	1 No	No	1.00	₹2,40,000	₹2,40,000
Sub-Total 5						₹3,36,600
6. Plant & Machinery (Feeders, Automation)						
6a	Feeders (turkey-specific, large trough type)	2000 birds @ ₹30/bird	Per bird	2,000.00	₹30	₹60,000
6b	Auto Nipple Drinkers (included in water supply – Sl. 4d)	Included above	LS	1.00	₹0	₹0
6c	Chick Guards / Brooder Rings (poult phase)	1 LS	LS	1.00	₹5,000	₹5,000
6d	Feed Storage Bins	2 Nos @ ₹5,000 each	Nos	2.00	₹5,000	₹10,000
6e	Vaccinator & Accessories	1 set	LS	1.00	₹3,000	₹3,000
Sub-Total 6						₹78,000
7. (Waste Management System)						
7a	Compost Pits (2 nos – large capacity, turkeys produce heavy litter)	2 units @ ₹20,000 each	Nos	2.00	₹20,000	₹40,000
7b	Drainage system (shed floor drains + percolation)	1 LS	LS	1.00	₹15,000	₹15,000
7c	Litter management equipment	1 set	LS	1.00	₹20,000	₹20,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(motorised litter turner or manual kit)					
Sub-Total 7						₹75,000
TOTAL CAPITAL COST (A)						₹41,11,915
B. RECURRING EXPENDITURE / BATCH						
A	Turkey Poult Cost	2,200 poults (10% mortality buffer) @ ₹160/poult	Per bird	2,200.00	₹160	₹3,52,000
B	Feed Cost (Poult starter + grower + finisher)	44,000 kg @ ₹38/kg (22 kg/bird × 2000)	Kg	44,000.00	₹38	₹16,72,000
C	Medicine, Vaccine & Biosecurity	2000 birds @ ₹15/bird	Per bird	2,000.00	₹15	₹30,000
D	Litter Cost (paddy husk/wood shavings)	2000 birds @ ₹1/bird	Per bird	2,000.00	₹1	₹2,000
E	Labour Cost (2 persons)	5 months × 2 persons @ ₹12,000/month each	Month	10.00	₹12,000	₹1,20,000
F	Power & Fuel Charges	2000 birds @ ₹6/bird (high due to EC systems)	Per bird	2,000.00	₹6	₹12,000
TOTAL RECURRING EXPENDITURE / BATCH (B)						₹21,88,000
GRAND TOTAL PROJECT COST (A + B)						₹62,99,915

Particulars	**Amount (₹)**
Total Capital Cost	41,11,915
Turkey Poult Cost	3,52,000
Total Cost Considered for Subsidy	44,63,915
50% Subsidy of Above Total Cost per Unit	22,31,958

Indicative Cost Norms for Low-Cost Hydroponic Green Fodder Unit
Unit Capacity
Hydroponic Green Fodder Unit Capacity: Approx. 50–60 kg fresh green fodder/day
Number of Trays: 45 trays
Production Cycle: 7-day growing cycle
Daily Harvest: 5–6 trays/day
Suitable Crops: Maize, barley, wheat, oats and sorghum
Indicative Cost of Hydroponic Green Fodder Unit

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Sr. No.	Component	Size / Specification	Quantity	Amount (Rs.)
1	MS Pipe (Vertical/Lateral/Ridge)	38 mm × 38 mm, Class A	40 m (120 kg)	7,200
2	Polyethylene Sheet	UV Stabilized, 800 gauge	40 sq. m	2,000
3	Brick Work	1:6 Cement-Sand Mortar with 1st Class Brick	1.5 cu.m	7,500
4	Plaster Work	1:3 Cement-Sand Mortar, 12 mm thick	27 sq. m	5,400
5	Pucca Floor	10 ft × 10 ft (3.048 m × 3.048 m)	9.3 sq. m	7,440
6	HDPE Door	1 m × 1 m × 1.8 m	1 No.	1,500
7	Aluminium/MS Strip	Structural support strips	50 m	2,000
8	Water Distribution System	PVC piping, brass tees, micro-mist nozzles, irrigation pipes and fittings	1 Set	4,840
9	Pump	0.5 HP pump (Crompton or equivalent)	1 No.	2,300
10	Cooling Pad Fixing	Keldac pad/dry grass with metallic frame	1 Set	1,000
11	Exhaust Fan with Capacitor	12 inch, 900 RPM, single phase	1 No.	1,200
12	Hydroponic Rack (Tray Shelf)	Bamboo logs (1.5”–3.0” dia)	500 ft	2,500
13	Shade Net	80% green woven plastic	24 sq. m	960
14	Timer	Automatic timer for misting	1 No.	700
15	Pucca Water Tank	4 ft × 2 ft × 2 ft, 450 litre capacity	1 Set	1,500
16	Paint	Red paint	1 litre	150
17	Welding Rod	3.15 mm rod	2 packets	700
18	Hydroponic Trays	Food-grade UV-stabilized plastic trays, approx. 1.5 ft × 2 ft size	45 Nos.	4,500
19	Miscellaneous Items	Tools, fittings and accessories	Lump sum	1,300
	Total Estimated Cost			54,690/-

Production Cycle (Indicative)

1. Seeds are cleaned and soaked in water for 12–24 hours.
2. Soaked seeds are uniformly spread in hydroponic trays.
3. Trays are placed on multi-tier racks under controlled humidity and mist irrigation.
4. Automatic misting is provided at regular intervals using micro-sprayers.
5. Green fodder becomes ready for harvest within 7 days.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. Approximately 5–6 trays are harvested daily and replaced with fresh trays to ensure continuous year-round fodder production.

Indicative Project Cost: ETT Lab

Sl. No.	Particulars	Specification	Unit	Qty.	Unit Cost (Rs.)	Total Cost (Rs.)
A. Land & Site Development						
1	Land	2.0 Acre	Acre	–	Available	0
1a	Land Development & Levelling	2 Acre	LS	1	1,50,000	3,00,000
1b	Compound Wall & Fencing	800 RFT	RFT	800	1,200	9,60,000
1c	Main Gate & Security Cabin	–	LS	1	2,50,000	2,50,000
1d	Internal Roads & Paving	600 Sq.m	Sq.m	600	1,200	7,20,000
1e	Landscaping & Drainage	2 Acre	LS	1	1,50,000	1,50,000
	Sub Total – Land & Site Development					23,80,000
B. Civil Construction						
2a	Main ETT Laboratory Building	3,500 Sq.ft	Sq.ft	3500	2,200	77,00,000
2b	Animal Housing Shed (Donor Cows)	6,000 Sq.ft @ 60 animals	Sq.ft	6000	900	54,00,000
2c	Recipient Animal Holding Yard	4,000 Sq.ft	Sq.ft	4000	650	26,00,000
2d	Quarantine Block	1,200 Sq.ft	Sq.ft	1200	1,500	18,00,000
2e	Feed Store & Fodder Godown	1,500 Sq.ft	Sq.ft	1500	900	13,50,000
2f	Staff Quarters (6 rooms)	2,400 Sq.ft	Sq.ft	2400	1,200	28,80,000
2g	Administrative Block & Training Hall	1,800 Sq.ft	Sq.ft	1800	1,800	32,40,000
2h	Semen Processing Annexe	600 Sq.ft	Sq.ft	600	2,500	15,00,000
	Sub Total – Civil Construction					2,64,70,000
C. Utilities & Infrastructure						
3a	Borewell / Tubewell (x2)	2 LS	Unit	2	1,00,000	2,00,000
3b	Overhead Tank & Sump (25,000 L)	SS Tank	Unit	1	4,50,000	4,50,000
3c	Water Treatment Plant (RO)	2,000 LPH	Unit	1	6,00,000	6,00,000
3d	Electrification & Internal Wiring	5% of Civil Cost	LS	1	13,23,500	13,23,500

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3e	DG Set (75 KVA)	Kirloskar / Cummins	Unit	1	9,00,000	9,00,000
3f	Solar Power System (10 KW)	Grid Tied	KW	10	80,000	8,00,000
3g	HVAC / Split ACs for Lab	2-Ton units	Unit	6	65,000	3,90,000
3h	Effluent / Bio-waste Disposal	–	LS	1	2,50,000	2,50,000
	Sub Total – Utilities & Infrastructure					49,13,500
D. Plant, Machinery & Lab Equipment						
4a	Embryo Handling & Stereomicroscope Unit	Research grade	Unit	2	5,50,000	11,00,000
4b	CO_2 Incubator	240 L capacity	Unit	2	3,80,000	7,60,000
4c	Liquid Nitrogen Storage Tanks (60 L)	MVE / Taylor Wharton	Unit	4	85,000	3,40,000
4d	Semen Extender & Freezing Equipment	French straw system	Set	1	7,20,000	7,20,000
4e	Portable Ultrasound Scanner (4 nos.)	Mindray/Kaixin	Unit	4	2,50,000	10,00,000
4f	Hormonal Superovulation Kit & Flushing Set	Per annum stock	LS	1	5,00,000	5,00,000
4g	Centrifuge, Autoclave & Lab Small Equipment	Various	Set	1	4,80,000	4,80,000
4h	Animal Restrain Crush (3 nos.)	Heavy-duty MS	Unit	3	90,000	2,70,000
4i	Cattle Weighing Scale & ID Tagging System	Digital	Set	1	1,20,000	1,20,000
4j	Feed Processing Unit (TMR Mixer)	500 kg batch	Unit	1	3,50,000	3,50,000
4k	Milk Analysis Equipment (Milkoscan)	Combined unit	Unit	1	2,20,000	2,20,000
4l	CCTV, PA System & Farm Management Software	–	LS	1	2,80,000	2,80,000
	Sub Total – Plant, Machinery & Lab Equipment					61,40,000

Project Cost Summary

Component	**Amount (Rs.)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

A. Land & Site Development	**23,80,000**
B. Civil Construction	**2,64,70,000**
C. Utilities & Infrastructure	**49,13,500**
D. Plant, Machinery & Lab Equipment	**61,40,000**
Grand Total Project Cost	**3,99,03.500**

PROJECT COST — Community Smart TMR (Total Mixed Ration) Unit
Capacity: 10–20 MT/Day
FPO / Dairy Cooperative / Rural Entrepreneur Model

A. CAPITAL INVESTMENT
1. Land & Site Development

Sl. No.	Particulars	Specification	Unit	Qty.	Unit Cost (₹)	Total Cost (₹)
1.1	Land (Owned/Lease)	1 Acre	Acre	1	Available	0
1.2	Land Development & Levelling	Filling & grading	LS	1	1,50,000	1,50,000
1.3	Boundary Fencing	400 RMT	RMT	400	600	2,40,000
1.4	Main Entrance Gate	Heavy duty	Nos	1	35,000	35,000
	Sub Total					**4,25,000**

2. Civil Construction

Sl. No.	Particulars	Specification	Unit	Qty.	Unit Cost (₹)	Total Cost (₹)
2.1	Mixing & Processing Shed	RCC/PEB, 2500 Sqft	Sqft	2500	450	11,25,000
2.2	Raw Material Godown	1500 Sqft	Sqft	1500	400	6,00,000
2.3	Silage Storage Pit	RCC lined, 500 MT capacity	Nos	2	3,50,000	7,00,000
2.4	Office & Mini Laboratory	300 Sqft	Sqft	300	500	1,50,000
2.5	Weighing Platform Area	10 MT capacity	LS	1	1,00,000	1,00,000
2.6	Drainage & Waste Management	Drainage + sump	LS	1	75,000	75,000
	Sub Total					**27,50,000**

3. Water Supply System

Sl. No.	Particulars	Specification	Unit	Qty.	Unit Cost (₹)	Total Cost (₹)
3.1	**Borewell**	**300 ft depth**	**LS**	**1**	**1,00,000**	**1,00,000**
3.2	**Submersible Pump & Pipeline**	**5 HP**	**LS**	**1**	**45,000**	**45,000**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.3	**Overhead Water Tank**	**10,000 Litres**	**Nos**	**1**	**55,000**	**55,000**
3.4	**Internal Piping**	**GI/HDPE**	**LS**	**1**	**30,000**	**30,000**
	Sub Total					**2,30,000**

4. Electrification & Energy System

Sl. No.	Particulars	Specification	Unit	Qty.	Unit Cost (₹)	Total Cost (₹)
4.1	HT/LT Connection & Wiring	50 KVA	LS	1	1,50,000	1,50,000
4.2	DG Set (Backup)	25 KVA	Nos	1	2,50,000	2,50,000
4.3	Rooftop Solar System	10 KWp	LS	1	3,50,000	3,50,000
4.4	Electrical Panels & Fittings	Control panel system	LS	1	1,00,000	1,00,000
	Sub Total					**8,50,000**

5. Plant & Machinery

Sl. No.	Particulars	Specification	Unit	Qty.	Unit Cost (₹)	Total Cost (₹)
5.1	Automatic TMR Mixer Wagon	10–12 MT/batch	Nos	2	6,50,000	13,00,000
5.2	Forage Harvester / Chaff Cutter	Tractor-mounted	Nos	1	14,00,000	14,00,000
5.3	Hammer Mill	5 TPH	Nos	1	3,50,000	3,50,000
5.4	Mineral Mixture Dosing Unit	Automatic system	Nos	1	2,00,000	2,00,000
5.5	Weighbridge	10 MT capacity	Nos	1	3,50,000	3,50,000
5.6	Tractor	50 HP	Nos	1	8,50,000	8,50,000
5.7	Delivery Vehicle	1.5 Ton mini truck	Nos	2	7,50,000	15,00,000
5.8	Feed Quality Testing Kit	NIR/basic wet lab	LS	1	1,50,000	1,50,000
5.9	Digital Billing & MIS System	Tablet + software	LS	1	75,000	75,000
5.10	Miscellaneous Equipment	Hopper, conveyor, tools	LS	1	1,25,000	1,25,000
	Sub Total					**62,50,000**

6. Pre-operative Expenses

Sl. No.	Particulars	Specification	Unit	Qty.	Unit Cost (₹)	Total Cost (₹)
6.1	Registration & Licenses	FSSAI etc.	LS	1	35,000	35,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6.2	Training & Capacity Building	NDDB/KVK/University	Persons	3	25,000	75,000
6.3	Trial Run & Commissioning	—	LS	1	40,000	40,000
	Sub Total					**1,50,000**

TOTAL CAPITAL COST

Particulars	**Amount (₹)**
Land & Site Development	4,25,000
Civil Construction	27,50,000
Water Supply System	2,80,000
Electrification & Energy System	8,50,000
Plant & Machinery	63,00,000
Pre-operative Expenses	1,50,000
Total Capital Cost	**1,07,55,000**

B. WORKING CAPITAL (FIRST MONTH)

Sl. No.	**Particulars**	**Quantity**	**Unit**	**Rate (₹)**	**Total Cost (₹)**
1	Silage / Green Fodder	100 MT	MT	2,500	2,50,000
2	Dry Fodder / Straw	50 MT	MT	3,500	1,75,000
3	Concentrate Feed	30 MT	MT	18,000	5,40,000
4	Mineral Mixture & Salt	500 Kg	Kg	80	40,000
5	Labour Cost	—	Month	LS	1,20,000
6	Electricity & Fuel	—	Month	LS	75,000
7	Administrative Expenses	—	Month	LS	30,000
	Total Working Capital (Month-1)				12,30,000

C. TOTAL PROJECT COST

Particulars	Amount (₹)
Total Capital Cost	1,06,55,000
50% Subsidy of Above Total Cost per Unit	53,27,500

----------x----------

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।